अनुबंध 10.1

(पैरा 10.91)

आयोग द्वारा एकत्रित डाटा

1. राज्य वित्त आयोग

1. अतीत में नियुक्त राज्य वित्त आयोगों का ब्यौरा और वर्तमान राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल। प्रस्तुत रिपोर्टों की प्रतियां।
2. उन अनुशंसाओं का ब्यौरा, जो पीआरआई और यूएलबी को करों/हस्तांतरण/सहायता अनुदान के समुदेशन के संबंध में कार्यान्वित की गयी थी अथवा उस समय कार्यान्वित की जा रही थी।
3. स्वंय के कर और कर-भिन्न अधिक्षेत्र में से विभिन्न अंतरण श्रेणियों (जैसे करो, हस्तांतरण, सहायता-अनुदान के समनुदेशनों) के अधीन राज्य वित्त आयोगों द्वारा संस्तुत धनराशियां।
4. स्वीकृत न की गयी सिफारिशें और स्वीकृत न किए जाने का कारण।
5. क्या राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बिजली और जल आपूर्ति के बकाया देयों की वसूली सहित, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली निधियों के लिए किसी कारणवश राज्य सरकारों द्वारा समायोजन किए गए थे।
6. क्या एसएफसी रिपोर्टों की क्वालिटी सुधारने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार किया गया है।

2. XIवें वित्त आयोग और XIIवे वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1. ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
2. ईएफसी द्वारा संस्तुत अनुदानों का उपयोग।
3. स्थानीय निकायों के संसाधन जुटाने के लिए किए गए प्रयास।
4. गांव स्तरीय पंचायतों और मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों के लेखाओं के रखने की व्यवस्था-स्थानीय निकायों के वित्त साधनों से संबंधित डाटाबेस बनाने की स्थिति-पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा के लिए की गई व्यवस्था और उसकी स्थिति।
5. स्थानीय निकायों को वित्त आयोग अनुदान देने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसका ब्यौरा। स्थानीय निकायों को बारहवें वित्त आयोग अनुसंशित अनुदान देने में ऐसे विलम्बों के कारण राज्य सरकारों द्वारा कितने अवसरों पर ब्याज अदा किया गया।
6. जल आपूर्ति से संबंधित ओएण्डएम लागतों की वसूली की स्थिति। 2005-06 से पंचायतों द्वारा कितनी जल आपूर्ति योजनाओं की जिम्मेदारी संभाली गयी। शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध के लिए सेवाएं विकसित करने एवं बढ़ाने हेतु पीपीपी/अन्य तंत्रों का ब्यौरा। क्या शहरी क्षेत्रों में सम्पत्तियों के नक्शे बनाने और वित्तीय प्रबंधन में कम्प्यूटरीकरण के इस्तेमाल के लिए जीआईएस जैसे किसी तरीके का प्रयोग किया गया है।

3. उधार

1. क्या स्थानीय निकायों को बाजार से उधार लेने की अनुमति है। पिछले पाच वर्षों के दौरान लिए गए ऐसे उधारों और जहां अनुमति दी गयी है वहां बकाया देयताओं का ब्यौरा
2. पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों को दी गयी गारंटियों का ब्यौरा। बजटीय सहायता प्राप्त करने में हुई चूक, यदि कोई हुई है

4. स्थानीय निकायों का भौतिक और वित्तीय निष्पादन

1. स्थानीय निकायों के संबंध में मूल सूचना-प्रत्येक स्तर पर संख्या, पिछले चुनाव की तारीख, जनसंख्या एवं समाविष्ट क्षेत्र
2. पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए-राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित करों एवं उगाही का ब्यौरा, राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित करों की राशि और प्रदान किया गया सहायता अनुदान, जिस एजेंसी ने कार्य किए उसका ब्यौरा।
3. पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए- स्थानांतरित कार्यों का ब्यौरा और प्रत्येक कार्य में व्यय का स्तर।
4. पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए-पूंजीगत एवं राजस्व व्यय ब्यौरा तथा राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का स्रोत
5. पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति व स्वचछता सेवाओं के प्रावधान की स्थिति
6. लेखाएं रखने और लेखा-परीक्षा की स्थिति
7. नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में काम कर रही पैरास्टेटल्स का ब्यौरा; और पैरास्टेटल एवं नगर निकायों के बीच यदि आय का बंटवारा होता है तो इस स्थिति में व्यवस्था। दृष्टांत जहां भूमि की बिक्री का उपयोग वित्तीय विकल्प के रूप में किया गया है।

अनुबंध 10.2
(पैरा 10.92)

राज्य वित्त आयोग-I रिपोर्ट - गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.6.1994	20.5.1997	29.11.1997	1997-98 से 1999-2000	कर और कर-भिन्न से राज्य राजस्व का 39.2%, नगर निगम हैदराबाद को बाजी कर का 10%, व्यवसाय कर का 95%, नए बने नगर निगमों को 25 लाख रुपये का अनुदान।
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.5.2003	अप्रैल, 2008 को रिपोर्ट प्रस्तुत	विचाराधीन	उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं
3.	असम	23.6.1995	29.2.1966	18.3.1996	1996-97 से 2000-01	राज्य के कर राजस्व का 2% सालाना, सहायता अनुदानः 1996-97 : रु. 36.89 करोड़, 1997-98 : रु. 37.15 करोड़, 1998-99 : रु. 37.02 करोड़, 1999-2000 : रु. 37.02 करोड़।
4.	बिहार	23.4.1994	प्रस्तुत नहीं की गई	प्रस्तुत नहीं की गई		-
5.	छत्तीसगढ़	22.8.2003	15.05.2007	विचाराधीन	2005-06 से 2009-10	**1. राज्य सरकार के सकल कर राजस्व का 0.514% का वैश्विक बंटवारा 2. निम्नलिखित से प्राप्त आय अधोलिखित अनुपात में हस्तांतरित की जाती हैः स्टाम्प डयूटी 1%; मोटर वाहन कर 10; प्रवेश कर 98%; बिक्री कर पर अधिभार 10%; यात्री कर - वास्तविक के अनुसार।
6.	गोवा	1.4.1999	5.6.1999	12.11.2001	2000-01 से 2004-05	1. एस ओ टी आर का 27% और योजना-भिन्न शीर्ष के तहत जिला पंचायतों के हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय करों में हिस्सा एवं योजना शीर्ष के अधीन वार्षिक राज्य योजना का 13%. 2. योजना-भिन्न शीर्ष के तहत नगर परिषदों को एसओटीआर का 9% और योजना शीर्ष के अधीन वार्षिक राज्य योजना का 3%।
7.	गुजरात	15.9.1994	ग्रा.स्था.नि. 13.7.1998 श.स्था.नि. अक्तूबर, 1998	28.08.2001	1996-97 से 2000-01	सालाना 293.09 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कराधान। व्यवसाय कर 50%; मनोरंजन कर 75%; अन्य अनुदान

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	31.5.1994	31.3.1997	5.9.2000	1997-98 से 2000-01	1. शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को मॉनर मिनरल्स पर रायल्टी का 20%
						2. "स्टाम्प डयूटी व पंजीकरण शुल्क" शीर्ष के अधीन निवल प्राप्तियों का 7.5% पीआरआई को हस्तांतरित किया जाए
						3. श.स्था.नि. को मोटर वाहन पर कर 20%, मनोरंजन कर 50%।
9.	हिमाचल प्रदेश	23.4.1994	30.11.96	5.2.1997	1996-97 से 2000-01	स्थानीय निकायों को 138.75 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाए।
10.	जम्मू और कश्मीर	15.1.2008		प्रस्तुत नहीं होगी	2009-10	
11.	झारखण्ड	28.01.2004		उपल्बध नहीं		
12.	कर्नाटक	10.06.1994	ग्रा.स्था.नि. जुलाई, 1996 श.स्था.नि. 30.1.1996	31.3.1997	1996-97 से 2000-01	स्थानीय निकायों को ऋण-भिन्न सकल स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का 36%।
13.	केरल	23.4.1994	29.2.1996	26.2.1997	1996-97 से 2000-01	1. शहरी स्थानीय निकायों के पक्ष में स्टाम्प ड्यूटी पर 25% अधिभार उद्ग्रहीत किया जाए। स्टाफ ड्यूटी पर अधिभार तथा निगम क्षेत्र से संग्रहित मूल कर उन्हें उगाही आधार पर अंतरित किया जाए।
14.	मध्य प्रदेश	25.02.1995	20.7.1996	20.07.1996	1996-97 से 2000-01	2. भूमि कर दुगना किया जाए और उससे सृजित अतिरिक्त आय का 60% ब्लॉक, पंचायतों को और शेष, जिला पंचायतों को दिया जाए।
15.	महाराष्ट्र	23.4.1994	31.1.1997	5.3.1999	1994-95 से 1996-97#	पी आर आई को कुल कर एवं कर-भिन्न का 2.91% तथा विभाज्य पूल का 0.514% शहरी स्थानीय निकायों को; पी आर आईज को 67.66 करोड़ रुपए का विशिष्ट अनुदान।
						1. स्थानीय निकायों को राज्य द्वारा संग्रहित व्यवसाय कर का 10% दिया जाए।
						2. पीआरआई को भू-राजस्व की मांग और उस पर उपकर का 66.67% अग्रिम अनुदान के रूप में दिया जाए।

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
						3. जिला पंचायतों को इस मांग के 66.67% के बराबर सिंचाई उपकर अनुदान अग्रिम अनुदान के रूप में दिया जाए। 4. मोटर वाहन कर से हुई निवल आय का 25%, शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाए।
16.	मणिपुर	22.4.1994	दिसम्बर, 1996	28.7.1997	1996-97 से 2000-01	1. स्थानीय निकायों को केन्द्रीय करों में राज्य हिस्से का 5.229%, राज्य वित्त आयोग सिफारिशों के प्रथम वर्ष के लिए, अर्थात् 1996-97 के लिए सुझाया गया है। इसके पश्चात् स्थानीय निकायों को शेष अवधि के लिए 8.67 करोड़ रुपए की नियत राशि सालाना हस्तांतरित की जाएगी। 2. पंचायती राज संस्थानों को भू-राजस्व का 50%.
17.	मेघालय	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट				
18.	मिजोरम	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट				
19.	नागालैंड	1.8.2008	22.10.2000	विचाराधीन	2010-15	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट। राज्य अधिनियम के अधीन राज्य वित्त आयोग गठित। स्थानीय निकायों के लिए किसी विशेष हस्तांतरण की कोई सिफारिश नहीं की गयी है।
20.	उड़ीसा	21.11.1996/ 24.08.1998*	30.12.1998	9.7.1999	1998-99 से 2004-05*	सरकार, पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त स्टाफ का पूरा वेतन और आवर्ती एवं अनावर्ती लागत वहन कर रही है। पंचायत समितियों के स्टाफ के वेतन के लिए दी जाने वाली धन-राशि, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में मानी जानी चाहिए।
21.	पंजाब	22.04.1994	31.12.1995	17.09.1996	1996-97 से 2000-01	स्थानीय निकायों (शहरी व ग्रामीण दोनों) को 5 करों अर्थात् स्टाम्प ड्यूटी; मोटर वाहन कर; बिजली ड्यूटी; मनोरंजन कर; सिनेमा शोज का 20% हस्तांतरित किया जाए।
22.	राजस्थान	23.4.1994	31.12.1995	16.3.1996	1995-96 से 1999-2000	स्थानीय निकायों को राज्य की निवल कर प्राप्तियों का 2.18% हस्तांतरित किया जाए।

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम	22.7.1998	16.08.1999	जून, 2000	2000-01 से 2004-05	पंचायतों को राज्य वार्षिक कर राजस्व का 1%
24.	तमिलनाडु	23.4.1994	29.11.1996	28.4.1997	1997-98 से 2001-02	आंकड़े उपलब्ध नहीं ।
25.	त्रिपुरा	ग्रा.स्था.नि. 23.4.1994	ग्रा.स्था.नि. 12.1.1996	फरवरी, 1997	ग्रा.स्था.नि. जनवरी, 1997 से अभी तक	1. पंचायती राज संस्थाओं को बिक्री कर, अतिरिक्त बिक्री कर, क्रय कर एवं विलासिता कर का 25%; व्यवसाय कर का 35%; वन राजस्व का 15% हस्तांतरित किया जाए। 2. पंचायती राज संस्थाओं को 200 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना अनुदान के रूप में दिए जाने चाहिए।
		श.स्था.नि. 19-8-1996	श.स्था.नि. 17-9-1999	श.स्था.नि. 27-11-2000	श.स्था.नि. 1999-00 से 2003-04	शहरी स्थानीय निकायों को राज्य कर राजस्व का 5.5%; शहरी स्थानीय निकायों को 2001-02 तक इसका 90% और शेष 10% उनके निष्पादन की समीक्षा करने के बाद।
26.	उत्तर प्रदेश	22.10.1994	26.12.1996	20.11.1998	1997-98 से 2000-01	पंचायती राज संस्थाओं को निवल कर प्राप्तियों का 4%; सहायता अनुदान बंद; शहरी स्थानीय निकायों को निवल कर प्राप्तियों का 7% ।
27.	उत्तराखंड	31.3.2001	29.06.2002	3.7.2004	2001-02 से 2005-06	स्थानीय निकायों को राज्य के निवल कर राजस्व का 11% पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को 42.23 : 57.77 के अनुपात में ।
28.	पश्चिम बंगाल	30.5.1994	27.11.1995	22.7.1996	1996-97 से 2000-01	मनोरंजन कर : 90%; सड़क व पीडब्ल्यू उपकर : 80% ।

टिप्पणी : * *पुनर्गठन की तारीख*
गुजरात के मामले में, शहरी स्थानीय निकाय रिपोर्ट, राज्य वित्त आयोग पुनर्गठित किए जाने के बाद, प्रस्तुत की गयी।

** *छत्तीसगढ़ के मामले में, हस्तांतरण पूर्व मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है।*

\# *की गयी कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें 1.4.1999 से लागू होंगी।*

$ *यद्यपि राज्य वित्त आयोग से 1.4.1998 से पांच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, इसकी रिपोर्ट में 1998-99 से 2004-05 की अवधि समाविष्ट है।*

स्रोत : *राज्य सरकार और राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट ।*

अनुबंध 10.2 (जारी.....)

राज्य वित्त आयोग-II रिपोर्ट - गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.12.1998	19.08.2002	31.3.2003	2000-01 से 2004-05	स्थानीय निकायों को, केन्द्रीय करों के हिस्से सहित सरकार के कर एवं कर-भिन्न राजस्वों का 40.92% सालाना।
2.	अरुणाचल प्रदेश	गठित नहीं किया गया				
3.	असम	18.4.2001	18.08.2003	07.02.2006	20001-02 से 2005-06	1. स्थानीय निकायों को राज्य के सकल कर राजस्व का 3.5% सालाना। 2. शहरी स्थानीय निकायों को 10 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान सालाना।
4.	बिहार	20.06.1999	नवम्बर, 2003	उपलब्ध नहीं	जून 1999-नवम्बर 2003	उपलब्ध नहीं ।
5.	छत्तीसगढ़	गठित नहीं किया गया				
6.	गोवा	16.08.2005	31.12.2007	उपलब्ध नहीं	2007-08 से 2011-12	पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के राजस्व का 2% जिसमें से जिला परिषदों को 25% और ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को शेष 75%।
7.	गुजरात	19.11.2003	जून 2006	विचाराधीन	2005-06 से 2009-10	आंकड़े उपलब्ध नहीं ।
8.	हरियाणा	6.9.2000	30.09.2004	13.12.2005	2001-02 से 2005-06	1. ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को लघु खनिजों पर रायल्टी से हुई वार्षिक आय का 20%। 2. पंचायती राज संस्थाओं को "स्टाम्प डयूटी और पंजीकरण शुल्क" से होने वाली निवल प्राप्तियों का 3% । 3. पंचायती राज संस्थाओं को एल एडीटी की निवल प्राप्तियों का 65% । 4. शहरी स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर का 50%, मोटर वाहन कर का 20% एवं एलएडीटी का 35% ।
9.	हिमाचल प्रदेश	मई 1999	24.10.2002	24.06.2003	2002-07 से	स्थानीय निकायों को 253.19 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाए ।
10.	जम्मू और कश्मीर	गठित नहीं किया गया				

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
11.	झारखण्ड	गठित नहीं किया गया				
12.	कर्नाटक	25.10.2000	दिसम्बर 2002	प्रस्तुत नहीं की गई	2005-06 से 2009-10	स्थानीय निकायों को ऋण-भिन्न निवल राजस्व प्राप्तियों का 40%; सालाना 5 करोड़ रुपए की राशि सामान्य प्रयोजन निधि के रूप में ।
13.	केरल	23.06.1999	08.01.2001	7.01.2004	2001-02 से 2005-06	1. सरकार स्थानीय स्वशासनों को सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियत राज्य योजना की कम से कम एक तिहाई योजना निधियां (राज्य प्रायोजित स्कीमों के सिवाए) हस्तांतरित करें। 2. राज्य सरकार के सालाना स्वयं के कर राजस्व का 5.5 प्रतिशत, स्थानीय स्व-शासनों को स्थानीय एवं शासनों के नियंत्रण वाली आस्तियों, जिनके अंतर्गत आस्तियों का अंतरण भी आता है, के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान के रूप में हस्तांतरित किया जाए। 3. महालेखाकार द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व का 3.5% स्थानीय स्वशासनों को, समनुदेशित करों, विभाजित करों और सांविधिक एवं गैर-सांविधिक सहायता अनुदान जिनमें विशिष्ट प्रयोजन व सामान्य प्रयोजन दोनों शामिल हैं, के एवज में, सामान्य प्रयोजन अनुदान के रूप में हस्तांतरित किए जाने चाहिए।
14.	मध्य प्रदेश	17.06.1999	जुलाई, 2003 (पहली रिपोर्ट); अगस्त 2003 (दूसरी रिपोर्ट) दिसम्बर 2003 (तीसरी रिपोर्ट)	14.03.2005	2001-02 से 2005-06	कुल कर राजस्व व कर-भिन्न राजस्व का 2.93% पंचायती राज संस्थाओं को और 1.07% शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय निकायों को, 10% उगाही प्रभार घटाने के बाद, करों का समनुदेशन; पंचायती राज संस्थाओं को 28.40 करोड़ रुपए का स्थापना अनुदान और जिला परिषदों को प्रशिक्षण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि।
15.	महाराष्ट्र	22.06.1999	27.03.2002	29.03.2006	1999-2000 से 2001-02	स्थानीय निकायों को राज्य के करों, ड्यूटियों, पथकर प्राप्तियों का 40%.।
16.	मणिपुर	03.01.2003	नवम्बर, 2004	2 दिसम्बर, 2005	2001-02 से 2005-06 (अवार्ड समय	कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व और राज्य के केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का 10%; पंचायती राज संस्थाओं को

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
					बढ़ाया गया 31.03.2010)	34.38% और शहरी स्थानीय निकायों को 20.60% ।
17.	मेघालय		अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट			
18.	मिजोरम		अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट			
19.	नागालैंड		अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट			
20.	उड़ीसा	5.6.2003	29.09.2004	11.08.2006	2005-06 से 2009-10	स्थानीय निकायों को 1999-2000 से 2001-02 तक हुए राज्य के सकल स्वयं के कर राजस्व के औसत का 10% हस्तांतरित किया जाए। विभिन्न विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वर्ष 2002-03 से हस्तांतरित राशि कम करके राज्य के सकल स्वयं कर राजस्व के 10% की सिफारिश की गयी।
21.	पंजाब	21.09.2000	15.2.2002	08.06.2006	2001-02 से 2005-06	स्थानीय निकायों को सभी राज्य करों से प्राप्त निवल प्राप्तियों का 4% हस्तांतरित किया जाए।
22.	राजस्थान	07.05.1999	29.08.2002	08.06.2002	2001-02 से 2005-06	स्थानीय निकायों को निवल कर प्राप्तियों का 2.25%; मनोरंजन कर 15%; खनिजों पर रायल्टी 1% ।
23.	सिक्किम	05.07.2003	30.09.2004	25.02.2006	2005-06 से 2009-10	पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2004-05 के लिए 525 लाख रुपए का सहायता अनुदान; बाद के वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5-7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की अनुमति दी जाए। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि - 3 लाख रुपए सालाना ।
24.	तमिलनाडु	03.03.2000	21.5.2001	8.5.2002	2002-03 से 2006-07	स्थानीय निकायों का मनोरंजन कर छोड़कर, एसओटीआर का हिस्सा निम्नलिखित प्रकार सुझाया गया है : i) 2002-04 : 8%; (ii) 2004-06 : 9% और (iii) 2006-07 के लिए : 10%; केन्द्रीय हस्तांतरण का 5% भी स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए; राज्य वित्त आयोग के अधीन हस्तांतरण के 10% का प्रयोग नगर पालिकाओं और नगर निगमों में पूंजीगत कार्यों के लिए किया जाए। 15% कस्बा पंचायतों द्वारा और 20% गांव पंचायतों द्वारा ।
25.	त्रिपुरा	29.10.1999	10.04.2003	जून, 2008	2003-04 से 2007-08	प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किया गया हस्तांतरण जारी।

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तर प्रदेश	25 फरवरी, 2000	30.06.2002	30.04.2004	2001-02 से 2005-06	पंचायती राज संस्थानों को विभाज्य पूल का 5%; शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के कर-राजस्व निवल प्राप्तियों का 7.5%; सहायता अनुदान : शून्य।
27.	उत्तराखंड	30.04.2005	06.06.2006	05.10.2006	2006-07 से 2010-11	राज्य के कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व का 10%; जिला परिषद को प्रतिवर्ष 6.24 लाख रुपए का सहायता अनुदान; बी.पी. को 42.75 लाख रुपए सालाना; अल्मोड़ा व पौड़ी के भवनों के लिए 105 लाख रुपए; भागीरथी नदी फ्रंट : 50 लाख रुपए।
28.	पश्चिम बंगाल	14.7.2000	6.2.2002	15.07.2005	2001-02 से 2005-06	350 करोड़ रुपए की वार्षिक एक मुश्त निधि, स्थानीय निकायों को मनोरंजन व आमोद कर 90%; सड़क व लोक निर्माण कार्यों पर उपकर 80% ।

स्रोत : *राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना ।*

अनुबंध 10.2 (जारी.....)

राज्य वित्त आयोग-III रिपोर्ट - गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	29.12.04	31.01.2009	कार्य जारी	2005-06 से 2009-10	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
2.	अरुणाचल प्रदेश			गठित नहीं किया गया		
3.	असम	06.02.2006	27.03.2008	25.09.2009	2006-07 से 2010-11	1. वर्ष 2006-07 के लिए कोई हस्तांतरण नहीं। 2. वर्ष 2007-08 के लिए वास्तविक संग्रहण प्रभारों को घटाकर ऋण-भिन्न सकल स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का 10% । 3. वर्ष 2008-11 के लिए वास्तविक संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद ऋण-भिन्न सकल स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का 25%।
4.	बिहार	20.07.2004	नवम्बर, 2007	26.03.2007	जुलाई, 2004 से 24.06.2007	राज्य की निवल प्राप्तियों का 3% ।
5.	छत्तीसगढ़		गठित नहीं किया गया			
6.	गोवा		आंकड़े उपलब्ध नहीं			
7.	गुजरात		गठित नहीं किया गया			
8.	हरियाणा	22.12.2005	28 फरवरी, 2008 (अंतरिम रिपोर्ट)	28.08.2008	2006-2009	स्थानीय निकायों को निवल कर राजस्व का 4% ।
		22.12.2005	31.12.2008 (अंतिम रिपोर्ट)	तीसरे रा.वि.आ. द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है	2006-11	
9.	हिमाचल प्रदेश	मई 1999	24.10.2002	24.06.2003	2002-07 से	शराब पर उपकर, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए; स्थानीय निकायों को 10 करोड़ रुपए की दर पर प्रोत्साहन निधि; 228.28 करोड़ रुपए का अन्तर-समाप्ति अनुदान, स्थानीय स्व शासनों को सहायता-अनुदान और सड़कों के मरम्मत व्यय ।
10.	जम्मू और कश्मीर			आंकड़े उपलब्ध नहीं		
11.	झारखण्ड			आंकड़े उपलब्ध नहीं		
12.	कर्नाटक	28.08.2006	31.12.2008	अभी प्रस्तुत की जानी है	2010-11 से 2014-15	1. राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का 33% 70:30 के अनुपात में क्रमशः

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
						पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। 2. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों का शेयर निकालते समय, पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन घटक को असंबद्ध किया जाए।
13.	केरल	20.09.2004	23.11.2005	16.02.2006	2006-07 से 2010-11	वर्ष 2003-04 के कुल राज्य कर राजस्व का 25%, वर्ष 2006-07 में स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाए। बाद के वर्षों के लिए स्थानीय निकायों को निधियां हस्तांतरित करने हेतु 10% की वार्षिक वृद्धि लागू की जाए।
14.	मध्य प्रदेश	19.7.2005	प्रस्तुत की 1.11.2008	कार्य जारी	2006-07 से 2010-11	आंकड़े उपलब्ध नहीं ।
15.	महाराष्ट्र	15.01.2005	03.06.2006	विचाराधीन	2006-07 से 2010-11	आंकड़े उपलब्ध नहीं ।
16.	मणिपुर	गठन की प्रक्रिया जारी				
17.	मेघालय	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट				
18.	मिजोरम	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट				
19.	नागालैंड	अनुच्छेद 243एम के अधीन छूट				
20.	उड़ीसा	10.09.2008	6.02.2009 (अंतरिम रिपोर्ट)	कार्य जारी	2010-11 से 2014-15	वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए, 896.17 करोड़ रुपए की सालाना दर पर, राज्य के औसत सकल कर राजस्व का 15% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए।
21.	पंजाब	17.09.2004	28.12.2006	22.05.2007	2006-07 से 2010-11	सभी राज्य करों की निवल प्राप्तियों का 4% हिस्सा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए।
22.	राजस्थान	15.09.2005	27.02.2008	17.03.2008	2005-06 से 2009-10	राज्य की स्वयं की निवल कर प्राप्तियों का 3.50%, मनोरंजन कर 100%; खनिजों पर रायल्टी 1% ।
23.	सिक्किम	04.03.2009	प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख		2010-11से 2014-15	रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।
24.	तमिलनाडु	14.12.2004	30.09.2006	10.05.2007	2007-08 से 2011-12	राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 10% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए; विशिष्ट प्रयोजन अनुदान राज्य

क्रम संख्या	राज्य	राज्य वित्त आयोग के गठन की तारीख	राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	समाविष्ट अवधि	हस्तांतरण सिफारिश
1	2	3	4	5	6	7
						के अपने कर राजस्व का 0.5% से 1% होगा।
25.	त्रिपुरा	28.03.2008	प्रतीक्षित			
26.	उत्तर प्रदेश	23.12.2004	29.08.2008	विचाराधीन	2006-07 से 2010-11	निवल कर प्राप्तियों का 6% पंचायती राज संस्थाओं को शहरी स्थानीय निकायों को 9% जो विचाराधीन है।
27.	उत्तराखंड	गठित नहीं किया गया				
28.	पश्चिम बंगाल	22.02.2006	31.10.2008	16.07.2009	2008-09 से 2012-13	2009-10 से 850 करोड़ रुपए की एक मुश्त निधि और बाद के वर्षों के लिए संचयी आधार पर 12% की वार्षिक वृद्धि।

स्रोत : *राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना।*

अनुबंध 10.3
(पैरा 10.92)

विभिन्न स्तरों पर स्थानीय निकायों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण स्था. निकायों के स्तर (स्वायत्त जिला परि. सहित)	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII	शहरी स्था. निकायों की संख्या	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII
1	2	3		4	5		6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. ग्राम पंचायतें	21943	21809	1. नगर निगम	7	15
		2. मंडल परिषदें	1096	1097	2. नगर पालिकाएं	109	103
		3. जिला परिषदें	22	22	3. नगर पंचायत	1	6
		जोड़	**23061**	**22928**	**जोड़**	**117**	**124**
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. ग्राम पंचायतें	1747	1751			
		2. अंचल समिति	150	150	शहरी स्था. निकाय मौजूद नहीं हैं		
		3. जिला परिषदें	15	16			
		जोड़	**1912**	**1917**			
3.	असम	1. ग्राम पंचायतें	2487	2202	1. नगर निगम	1	1
		2. आंचलिक (ब्लॉक) परिषद	203	185	2. नगर पालिकाएं	28	29
		3. जिला परिषद	22	22	3. कस्बा पंचायतें	54	59
		4. स्वायत्त परिषदें		4			
		जोड़	**2710**	**2411**	**जोड़**	**83**	**89**
4.	बिहार	1. ग्राम पंचायतें	8471	8463	1. नगर निगम	5	11
		2. पंचायत समिति	531	531	2. नगर पालिकाएं	37	43
		3. जिला परिषदें	38	38	3. नगर पंचायतें	117	84
		जोड़	**9040**	**9032**	**जोड़**	**159**	**138**
5.	छत्तीसगढ़	1. ग्राम पंचायतें	9139	9820	1. नगर निगम	10	10
		2. जनपद पंचायतें	146	146	2. नगर पालिकाएं	28	28
		3. जिला परिषदें	16	16	3. कस्बा पंचायतें	71	124
		जोड़	**9301**	**9982**	**जोड़**	**109**	**162**
6.	गोवा	1. ग्राम पंचायतें	189	189	1. नगर निगम		1
		2. जिला पंचायत	2	2	2. नगर परिषदें	13	13
		जोड़	**191**	**191**	**जोड़**	**13**	**14**
7.	गुजरात	1. ग्राम पंचायतें*	13781	13738	1. नगर निगम	7	7
		2. तालुका पंचायत	224	224	2. नगर पालिकाएं	142	159
		3. जिला परिषदें	25	26	3. नगर पंचायतें		2
		जोड़	**14030**	**13988**	**जोड़**	**149**	**168**
8.	हरियाणा	1. ग्राम पंचायतें	6032	6187	1. नगर निगम	1	1
		2. पंचायत समिति	114	119	2. नगर परिषदें	21	24
		3. जिला परिषदें	19	19	3. नगर समितियां	46	51
		जोड़	**6165**	**6325**	**जोड़**	**68**	**76**
9.	हिमाचल प्रदेश*	1. ग्राम पंचायतें	3037	3243	1. नगर निगम	1	1
		2. पंचायत समिति	75	75	2. नगर परिषदें	20	20
		3. जिला पंचायत	12	12	3. नगर पंचायतें	28	28
		जोड़	**3124**	**3330**	**जोड़**	**49**	**49**

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण स्था. निकायों के स्तर (स्वायत्त जिला परि. सहित)	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII	शहरी स्था. निकायों की संख्या	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII
1	2	3		4	5		6
10.	जम्मू और कश्मीर	1. हल्का पंचायतें	2700	4139	1. नगर निगम	2	2
		2. ब्लॉक पंचायतें	134	0	2. नगर समितियां	6	80
		3. जिला पंचायतें	14	0	3. नगर परिषदें	61	
		जोड़	**2848**	**4139**	**जोड़**	**69**	**82**
11.	झारखण्ड	1. ग्राम पंचायतें	3765	4562	1. नगर निगम	1	2
		2. पंचायत समितियां	211	212	2. नगर पालिकाऐं / एमसी	20	15
		3. जिला पंचायतें	22	24	3. कस्बा पंचायतें/एनएसी	22	22
		जोड़	**3998**	**4798**	**जोड़**	**43**	**39**
12.	कर्नाटक	1. ग्राम पंचायतें	5659	5652	1. नगर/शहर निगम*	6	8
		2. तालुका पंचायतें	175	176	2. नगर/शहर परिषदें*	123	138
		3. जिला पंचायतें	27	29	3. कस्बा पंचायतें*	93	73
		जोड़	**5861**	**5857**	**जोड़**	**222**	**219**
13.	केरल	1. ग्राम पंचायतें	991	999	1. नगर निगम	5	5
		2. ब्लॉक पंचायतें	152	152	2. नगर पालिकाएं	53	53
		3. जिला पंचायतें	14	14			
		जोड़	**1157**	**1165**	**जोड़**	**58**	**58**
14.	मध्य प्रदेश	1. ग्राम पंचायतें	22029	23040	1. नगर निगम	14	14
		2. ब्लॉक पंचायतें	313	313	2. नगर पालिकाएं	86	88
		3. जिला पंचायतें	45	48	3. नगर पंचायतें	236	236
		जोड़	**22387**	**23401**	**जोड़**	**336**	**338**
15.	महाराष्ट्र	1. ग्राम पंचायतें	28553	27916	1. नगर निगम	16	22
		2. पंचायत समिति	349	351	2. नगर परिषदें	228	222
		3. जिला परिषदें	33	33	3. नगर पंचायत		5
		जोड़	**28935**	**28300**	**जोड़**	**244**	**249**
16.	मणिपुर	1. ग्राम पंचायतें	166	165	1. नगर निगम*	7	7
		2. जिला पंचायतें	4	4	2. नगर पालिकाएं*	142	159
		3. स्वायत्त जिला परिषदें	6	6	3. छोटे गांव की समितियां	1	1
		जोड़	**175**	**175**	**जोड़**	**28**	**28**
17.	मेघालय	1. स्वायत्त जिला परिषदें	3	3	1. नगर परिषदें	6	6
		जोड़	**3**	**3**	**जोड़**	**6**	**6**
18.	मिजोरम	1. ग्राम परिषदें	737	707	1. नगर पालिकाएं	0	1
		जोड़	**737**	**707**	**जोड़**	**0**	**1**
19.	नागालैण्ड	1. ग्राम परिषदें*	1286	1110	1. नगर पालिकाएं		3
					2. कस्बा परिषदें	9	16
		जोड़	**737**	**707**	**जोड़**	**9**	**19**
20.	उड़ीसा	1. ग्राम पंचायतें	6234	6234	1. नगर निगम	2	3
		2. पंचायत समिति	314	314	2. नगर परिषदें	33	36
		3. जिला परिषदें	30	30	3. नोटिफाई क्षेत्र परिषदें	68	64
		जोड़	**6578**	**6578**	**जोड़**	**103**	**103**
21.	पंजाब	1. ग्राम पंचायतें	12449	12447	1. नगर निगम	4	5
		2. पंचायत समिति	140	141	2. नगर परिषदें	98	97
		3. जिला परिषदें	17	20	3. नगर पंचायत	32	33
		जोड़	**12606**	**12608**	**जोड़**	**134**	**135**

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण स्था. निकायों के स्तर (स्वायत्त जिला परि. सहित)	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII	शहरी स्था. निकायों की संख्या	वि.ओ.-XII	वि.ओ.-XIII
1	2	3		4	5		6
22.	राजस्थान	1. ग्राम पंचायतें	9189	9184	1. नगर निगम	3	3
		2. पंचायत समिति	237	237	2. नगर परिषदें	11	11
		3. जिला परिषदें	32	32	3. नगर बोर्ड	169	169
		जोड़	**9458**	**9453**	**जोड़**	**183**	**183**
23.	सिक्किम	1. ग्राम पंचायतें	166	163	1. नगर निगम	0	1
		2. जिला पंचायतें	4	4	2. नगर परिषदें	0	2
					3. नगर पंचायतें	0	9
		जोड़	**170**	**167**	**जोड़**	**0**	**12**
24.	तमिलनाडु	1. ग्राम पंचायतें	12618	12618	1. नगर निगम	6	8
		2. पंचायत युनियन	385	385	2. नगर परिषदें	102	150
		3. जिला पंचायतें	28	29	3. कस्बा पंचायतें	611	561
		जोड़	**13031**	**13032**	**जोड़**	**719**	**719**
25.	त्रिपुरा	1. ग्राम पंचायतें	540	513	1. नगर परिषदें	1	1
		2. पंचायत समिति	23	23	2. नगर पंचायतें	12	12
		3. जिला पंचायतें	4	4			
		4. स्वायत्त जिला परिषदें		1			
		जोड़	**9458**	**9453**	**जोड़**	**13**	**13**
26.	उत्तर प्रदेश	1. ग्राम पंचायतें	52029	52000	1. नगर निगम	11	12
		2. क्षेत्र पंचायतें	809	820	2. नगर पालिका परिषदें	195	194
		3. जिला पंचायतें	70	70	3. नगर पंचायतें	417	422
		जोड़	**52908**	**52890**	**जोड़**	**623**	**628**
27.	उत्तराखण्ड	1. ग्राम पंचायतें	7055	7227	1. नगर निगम*	1	1
		2. इंटरमीडियट पंचायतें	673	95	2. नगर पालिका परिषदें*	31	31
		3. जिला पंचायतें		13	3. नगर पंचायतें*	31	31
		जोड़	**7728**	**7335**	**जोड़**	**63**	**63**
28.	पश्चिम बंगाल	1. ग्राम पंचायतें	3358	3354	1. नगर निगम*	6	6
		2. पंचायत समिति	341	341	2. नगर पालिकाएं*	114	118
		3. जिला परिषदें	18	18	3. नोटिफाई क्षेत्र आथोरिटी*	3	3
		जोड़	**3717**	**3713**	**जोड़**	**123**	**127**
		1. ग्राम/गांव पंचायतें (ग्राम परिषदें और बोर्डों सहित)	**236350**	**239432**	**नगर निगम का कुल जोड़**	**109**	**139**
		2. पंचायत समिति	**6795**	**6087**	**नगर परिषदों का कुल जोड़**	**1432**	**1595**
		3. जिला पंचायतें	**531**	**543**	**नगर पंचायतों का कुल जोड़**	**2182**	**2108**
		4. स्वायत्त जिला परिषदें	**9**	**14**			
	जोड़	**कुल जोड़ (सभी ग्रा.स्था.नि.)**	**243685**	**246076**	**कुल जोड़ (सभी श.स्था. नि.)**	**3723**	**3842**
		कुल जोड़ (सभी एलबीएस)	**247408**	**249918**			

स्रोत : *वि.आ.- XIII : राज्य सरकारों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत आंकड़े*
वि. आ. - XII : बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

अनुबंध 10.4
(पैरा 10.117)

स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की राज्यवार स्थिति

	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकारी	रिपोर्टिंग व्यवस्था
1.	आन्ध्र प्रदेश	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन सौंपा है।	स्थानीय निकायों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है ओर उसे विधान सभा में रखा जाता है।
2.	असम	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा कर रहा है। असम सरकार ने भी उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन सौंपा है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
3.	अरुणाचल प्रदेश	तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन के अधीन लेखा परीक्षा नहीं सौंपी गई है।	
4.	बिहार	राज्य अधिनियम के अनुसार स्थानीय लेखाओं का परीक्षक स्थानीय निकायों का एक मात्र लेखा परीक्षक होता है। वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकारी है।	स्थानीय लेखाओं के परीक्षक की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
5.	छत्तीसगढ़	राज्य सरकारों ने तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए स्वीकार कर लिया है। किसी भी स्तर के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है।	
6.	गोवा	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन, शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। गोवा सरकार ने भी उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की परीक्षा का कार्य तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन मॉड्यूल के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
7.	गुजरात	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जहां कहीं लागू होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन मॉड्यूल के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षा को सौंपा जाता है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
8.	हरियाणा	लेखा परीक्षा का कार्य अगस्त 2008 में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन समर्थन मॉड्यूल के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है।	लेखा परीक्षा का कार्य चल रहा है और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
9.	हिमाचल प्रदेश	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जहां कहीं लागू होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

राज्य का नाम	लेखा परीक्षा करने के लिए प्राधिकारी	रिपोर्टिंग व्यवस्था
	निकायों की लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी करता है।	
10. जम्मू-कश्मीर	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के परीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जाती है।हालांकि शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।	
11. झारखण्ड	राज्य अधिनियम के अनुसार, स्थानीय लेखाओं का परीक्षक स्थानीय निकायों का एकमात्र लेखा परीक्षक होता है, वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकारी है।	स्थानीय लेखाओं के परीक्षक की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
12. कर्नाटक	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रथम दो स्तरीय अर्थात जिला परि-ादों और नगर परि-ादों की लेखा परीक्षा करने और लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत जिम्मेदार है। शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं सौंपा गया है।	पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
13. केरल	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) की धारा 14 के अधीन, तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की लेखा-परीक्षा करता है।	स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
14. मध्य प्रदेश	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, उसे तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है।	वार्-िक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
15. महाराष्ट्र	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन नगर निगमों की लेखा परीक्षा करता है, वह राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा भी करता है। नगर परि-ादों का तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन वयवस्था का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं सौंपा गया है।	स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे विधान सभा में रखा जाता है।
16. मणिपुर	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन, स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा करता है। राज्य सरकार ने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 10 (1 के अधीन, तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा का कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है।	लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य चल रहा है और एटीआरईआर तैयार की जा रही है।
17. उड़ीसा	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 (1) और धारा 14 (2) के अधीन, पीएस और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षाएं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा का कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है।	एटीआईआर तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

राज्य का नाम	लेखा परीक्षा करने के लिए प्राधिकारी	रिपोर्टिंग व्यवस्था
18. पंजाब	तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के अंतर्गत लेखा परीक्षा का कार्य नहीं सौंपा जाता है।	
19. राजस्थान	राजस्थान राज्य अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं को जांचने का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य भी किया जाता है।	
20. तमिलनाडु	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 और धारा 14 (1) के अधीन, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज सस्थाओं (ग्राम पंचायतों के सिवाय) के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने का कार्य नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायतों के तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था के सिवाय, की लेखा परीक्षा करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है। ग्राम पंचायत की तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन व्यवस्था की लेखा परीक्षा का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं सौंपा गया है।	स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
21. त्रिपुरा	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अधीन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के तहत पंचायती राज सस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का कार्य भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
22. सिक्किम	राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा है।	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
23. उत्तर प्रदेश	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य), शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है।	स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
24. उत्तराखण्ड	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य), शक्तियां और शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है।	स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है और विधान सभा में रखी जाती है।
25. पश्चिम बंगाल	राज्य अधिनियम के अनुसार, स्थानीय लेखाओं का परीक्षक एकमात्र स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षक होता है। वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकारी होता है।	स्थानीय लेखाओं के परीक्षक की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में यह रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में रखी जाती है।

स्रोत : *भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय (सितंबर 2009)*

अनुबंध 10.5
(पैरा 10.127)

राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों का नमूना

अध्याय I परिचय
- क. आयोग का गठन
- ख. विचारार्थ विषय
- ग. रिपोर्ट तैयार करना

अध्याय II दृष्टिकोण और मुद्दे

अध्याय III पिछले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति
- क. वित्त साधनों के हस्तांतरण से संबंधित सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई
- ख. अन्य सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई

अध्याय IV राज्य वित्त-साधन (5 वर्षों की अवधि की समीक्षा)
- क. राज्य वित्त साधनों का महत्त्वपूर्ण विश्लेषण
- ख. राज्य और स्थानीय वित्त साधनों पर पिछले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का प्रभाव
- ग. राज्य सरकारों और इनके विभागों द्वारा स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण; हस्तांतरण की प्रवृत्ति एवं आकार; स्थानीय निकायों के लिए वास्तविक खर्च
- घ. राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के खर्चों (वेतन, पेंशन और अन्य देयता) का प्रत्यक्ष विलयन
- ङ. स्थानीय निकायों के पक्ष में राज्य सरकारों द्वारा दी गयी गारंटियां

अध्याय V विकेन्द्रीकृत शासन और हस्तांतरण की स्थिति की समीक्षा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अलग-अलग)
- क. कार्यात्मक हस्तांतरण और कार्यकलाप चित्रण अनुच्छेद 243जी और 243 डब्ल्यू में परिकल्पित हस्तांतरण के बारे में प्रगतिः इसका अनुमान (क) जारी की गयी आधिकारिक अधिसूचनाओं के सन्दर्भ में (ख) अध्याय-IV के खण्ड ग में दी गई रुपरेखा के अनुसार वित्तीय हस्तांतरणों से संबद्ध
- ख. वित्तीय जवाबदेही
  रखे गए लेखाओं की गुणवत्ता, क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्राप्त किया गया है, लेखा परीक्षा व्यवस्था लागू रही, लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति और लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटारा
- ग. प्रशासनिक विषय
- घ. XIवीं और XIIवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध प्रबंधकीय कार्यों को करने में पेरास्टेटल्स की भूमिका तथा उनके एवं संबंधित स्थानीय निकायों के मध्य सम्पर्क

अध्याय VI स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गयी भौतिक सेवाओं का आकलन - सेवाओं का स्तर - उपलब्धता, पहुँच, समावेश और गुणवत्ता
- क. सेवा कम देने का मात्रात्मक अनुमान तथा इस कमी के लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण ।
- ख. आस्तियों की सूची; वर्तमान प्रयोग और मूल्यांकन
- ग. मलिन बस्तियों के बंदोबस्त के लिए मूल सुविधाएं; उपलब्धता, समावेश, पहुँच, गुणवत्ता

अध्याय VII पंचायती राज संस्थाओं के वित्त-साधनों का आकलन
(जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए अलग-अलग किया जाएगा)
प्रवृत्तियों, निष्पादन और कार्यकुलता के संदर्भ में सभी राजस्व स्त्रोतों का विश्लेषण करने तथा बिना दोहन के रही कर क्षमता के अनुमान देना
- क. राजस्व
- i) कर राजस्व
  - क. भवनों और भूमि पर कर
  - ख. गैर-मोटरचालित वाहनों पर कर
  - ग. विज्ञापनों एवं होर्डिगों पर कर
  - घ. तीर्थ-यात्री कर
  - ङ. मनोरंजन कर
  - च. अन्य
  - छ. न वसूला गया राजस्व (प्रोद् भवन आधार)

ii) कर-भिन्न राजस्व
- क. प्रयोक्ता प्रभार
- ख. शुल्क
- ग. गौण खनिजों पर रायल्टी
- घ. लाभांश
- ङ. ब्याज
- च. अन्य

ख. राज्य सरकार से हस्तांतरण

उपलब्ध कराए जाने वाले हस्तांतरणों की प्रवृत्ति का विश्लेषण और इनकी प्रवृत्ति का विवरण, साथ ही, अनुदानों सहित हस्तांतरण का अनुमान लगाने का मानदण्ड
- क. समनुदेशित कर
- ख. राज्य करों में हिस्सा
- ग. सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान
- घ. विशेष प्रयोजनार्थ अनुदान
- ङ. एजेंसी कृत्यों के लिए हस्तांतरण

ग. केन्द्रीय सरकार से हस्तांतरण
- क. वित्त आयोग के तहत अनुदान और प्रभाव-क्या ऐसे प्रवाह राज्य सरकार के प्रवाहों में अतिरिक्त रूप से थे
- ख. एजेन्सी कृत्य

घ. पूंजीगत लेखा प्राप्तियां और ऋण स्थिति

ङ. राजस्व लेखे पर व्यय

व्यय विश्लेषण; विनियामक एवं प्रवर्तन खर्चों का संघटक, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत, ब्याज अदायगियां तथा क्षेत्र सुधार/ मलिन बस्ती सुधार सहित कमजोर वर्ग क्षेत्रों/ मलिन बस्तियों में सेवाएं मुहैय्या कराने पर व्यय और ऐसे खर्चों को बढ़ाने एवं उनकी पर्याप्तता
- क. प्रशासन
- ख. नागरिक कृत्य
  - i) जल आपूर्ति
  - ii) पथ प्रकाश
  - iii) स्वच्छता
  - iv) ठोस अपशिष्ट निपटान
- ग. सामुदायिक आस्तियों के अनुरक्षण पर व्यय
- घ. राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित योजनाओं पर व्यय
- ङ. केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित योजनाओं पर व्यय
- च. ब्याज के रूप में व्यय

च. स्थानीय निकायों (वेतन, पेंशन और अन्य देयता जहाँ कहीं लागू है), के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा सीधे किया गया व्यय

छ. आस्थगित व्यय-अदत्त बिलों, वार्षिकी अदायगियों सहित

ज. पूंजीगत व्यय

झ. निवल बजटीय स्थिति

ञ. राजकोषीय और वित्तीय प्रबंध की समीक्षा

अध्याय VIII शहरी स्थानीय निकायों के वित्त साधनों का आकलन

(नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर-निगमों का अलग-अलग किया जाएगा)

प्रवृत्तियों, निष्पादन और कार्य कुशलता के संदर्भ में सभी राजस्व वित्त-साधनों का विश्लेषण करना तथा बिना दोहन के रही कर क्षमता के अनुमान दिए जाएंगे

क. राजस्व

i) कर-राजस्व

प्रवृत्तियों, निष्पादन और कार्यकुशलता के संदर्भ में सभी साधनों से प्राप्त प्राप्तियों का विश्लेषण किया जाएगा। बिना दोहन के रही क्षमता के अनुमान दिए जाएंगे।
- क. भवनों एवं भूमि पर कर
- ख. गैर-मोटरचालित वाहनों पर कर
- ग. विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर कर
- घ. तीर्थ-यात्री कर

ङ. मनोरंजन कर
च. कोई अन्य कर
छ. न वसूला गया राजस्व (प्रोद् भवन आधार)

ii) कर-भिन्न राजस्व

प्रवृत्तियों, निष्पादन और कार्यकुशलता के संदर्भ में सभी साधनों से प्राप्त प्राप्तियों का विश्लेषण किया जाएगा। बिना दोहन के रही क्षमता के अनुमान दिए जाएंगे।

क. प्रयोक्ता प्रभार
ख. शुल्क (फीस)
ग. गौण खनिजों पर रायल्टी
घ. लाभांश
ङ. ब्याज
च. अन्य

ख. राज्य से अंतरण (हस्तांतरण)

प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाएगा तथा हस्तांतरणों की प्रकृति का विवरण दिया जाएगा

क. समनुदेशित कर
ख. राज्य करों में हिस्सा
ग. सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान
घ. विशेष प्रयोजनार्थ अनुदान
ङ. एजेंसी कृत्यों के लिए हस्तांतरण

ग. केन्द्रीय सरकार से हस्तांतरण

क. वित्त आयोग के तहत अनुदान और प्रभाव-क्या ऐसे प्रवाह राज्य सरकार के प्रवाहों में एक अभिवृद्धि थे
ख. एजेंसी कृत्य

घ. पूंजीगत लेखा प्राप्तियां और ऋण स्थिति

क. प्राप्तियों का स्रोत उदाहरणार्थ राज्य सरकार, विकास संस्थाओं से ऋण, बाजार उधार, .योजनावार हस्तांतरण, जे एन एन यू आर.एम, अन्य ए सी ए आदि
ख. ऐसी प्राप्तियों की प्राप्ति
ग. ऐसी प्राप्तियों का प्रयोजन

ङ. राजस्व लेखे पर व्यय

व्यय विश्लेषण; विनियामक एवं प्रवर्तन खर्चों का संघटक, प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत, ब्याज अदायगियां तथा क्षेत्र सुधार/मलिन बस्ती सुधार सहित कमजोर वर्ग क्षेत्रों/मलिन बस्तियों में सेवाएं मुहैय्या कराने पर व्यय और ऐसे खर्चों को बढ़ाने एवं उनकी पर्याप्तता

क. प्रशासन
ख. नागरिक कृत्य
  i) जल आपूर्ति
  ii) पथ प्रकाश
  iii) स्वच्छता
  iv) ठोस अपशिष्ट निपटान
ग. सामुदायिक आस्तियों के अनुरक्षण पर व्यय
घ. राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित योजनाओं पर व्यय
ङ. केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित योजनाओं पर व्यय
च. ब्याज के रूप में व्यय

च. स्थानीय निकायों (वेतन, पेंशन और अन्य देयता जहाँ कहीं लागू है), के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा सीधे किया गया व्यय
छ. आस्थगित व्यय-अदत्त बिलों, वार्षिकी अदायगियों सहित
ज. पूंजीगत व्यय
झ. निवल बजटीय स्थिति
ञ. राजकोषीय और वित्तीय प्रबंध की समीक्षा

अध्याय IX सर्वोत्तम परिपाटियों को रिकार्ड करना

क. ग्रामीण स्थानीय निकाय

क. जिला पंचायत
ख. ब्लॉक पंचायत
ग. ग्राम पंचायत

ख. शहरी स्थानीय निकाय
- क. नगर निगम
- ख. नगर परिषद
- ग. नगर पंचायत

अध्याय X वित्तीय संसाधनों में अन्तर का आकलन और हस्तांतरण योजनाएं

क. अंतर का आकलन

किए गए नियामक समायोजन और उनके लिए पूर्वानुमान, संदर्भ अवधि के लिए जनसंख्या अनुमान, कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र व सेवा-मानक, सेवाओं के लिए वित्तीय मानक, पांच वर्षों के लिए वित्तीय आवश्यताओं की राशि

क. ग्रामीण स्थानीय निकाय
- i) जिला पंचायत
- ii) ब्लॉक पंचायत
- iii) ग्राम पंचायत

ख. शहरी स्थानीय निकाय
- i) नगर पंचायत
- ii) नगर परिषद
- iii) नगर निगम

ख. मानकीय ऊर्ध्वमुखी अंतर को पाटने के लिए कार्यनीति
- i) कर और कर-भिन्न अधिकार क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण - कर एवं कर-भिन्न राजस्व संग्रहण क्षमता कैसे सुधारी जा सकेगी? इस संबंध में क्या प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए? विद्यमान कर अधिकार क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कैसे अधिक से अधिक साधन जुटाए जा सकेंगे?
- ii) अन्य दृष्टिकोण - बाजार; पीपीपी आदि

ग. हस्तांतरण योजना
- क. समनुदेशित कर
- ख. राज्य करों में हिस्सा
- ग. पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा और परस्पर वितरण
- घ. शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा और परस्पर वितरण
- ङ. सहायता अनुदान : विशिष्ट प्रयोजन या सामान्य प्रयोजन : समय; सोपाधिकता

अध्याय XI सामान्य टिप्पणियां और निष्कर्ष संबंधी अभ्युक्तियां

क. कार्यान्वयन नीति
- i) डाटा बेस को बेहतर बनाना
- ii) क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण
- iii) कम्प्यूटरीकरण और ई-शासन
- iv) राष्ट्रीय वित्त आयोग के लिए सुझाव

अध्याय XII मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली

क्या स्थानीय निकायों ने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के स्तरों, अधिसूचित न्यूनतम मानकों की तुलना में, की मानीटरी करने हेतु कोई तंत्र या ढांचा लागू किया है

अध्याय XIII सिफारिशों का सारांश

अनुबंध 10.6

(पैरा 10.148)

कुल विशेष क्षेत्र अनुदान

2001 जनसंख्या (लाख) *(करोड़ रुपए)*

	अनुसूचित क्षेत्र	अपवर्जित क्षेत्र	जोड़	% जनसंख्या	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	जोड़
आंध्र प्रदेश	29.28	0.00	29.28	3.67	5.86	8.78	11.71	11.71	11.71	49.77
असम	0.00	36.38	36.38	4.56	7.28	10.91	14.55	14.55	14.55	61.84
छत्तीसगढ़	105.45	0.00	105.45	13.21	21.09	31.64	42.18	42.18	42.18	179.27
गुजरात	72.11	0.00	72.11	9.03	14.42	21.63	28.84	28.84	28.84	122.59
हिमाचल प्रदेश	1.37	0.00	1.37	0.17	0.27	0.41	0.55	0.55	0.55	2.33
झारखंड	174.97	0.00	174.97	21.92	34.99	52.49	69.99	69.99	69.99	297.45
मध्य प्रदेश	132.55	0.00	132.55	16.60	26.51	39.77	53.02	53.02	53.02	225.34
महाराष्ट्र	39.39	0.00	39.39	4.93	7.88	11.82	15.76	15.76	15.76	66.96
मणिपुर	0.00	8.82	8.82	1.10	1.76	2.65	3.53	3.53	3.53	15.00
मेघालय	0.00	22.99	22.99	2.88	4.60	6.90	9.20	9.20	9.20	39.08
मिजोरम	0.00	8.89	8.89	1.11	1.78	2.67	3.55	3.55	3.55	15.11
नागालैंड	0.00	19.90	19.90	2.49	3.98	5.97	7.96	7.96	7.96	33.83
उड़ीसा	107.99	0.00	107.99	13.53	21.60	32.40	43.20	43.20	43.20	183.58
राजस्थान	18.17	0.00	18.17	2.28	3.63	5.45	7.27	7.27	7.27	30.89
त्रिपुरा	0.00	12.16	12.16	1.52	2.43	3.65	4.87	4.87	4.87	20.68
पश्चिम बंगाल	0.00	7.91	7.91	0.99	1.58	2.37	3.16	3.16	3.16	13.44
सभी राज्य	**681.28**	**117.04**	**798.32**	**100**	**159.66**	**239.50**	**319.33**	**319.33**	**319.33**	**1357.14**

टिप्पणी 1. अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो संविधान की अनुसूचियां V व VI के अधीन सूचीबद्ध हैं।

2. अपवर्जित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अनुच्छेद 243एम के अधीन संविधान के भाग IX एवं IXक के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त है।

3. 1357.14 करोड़ रुपए की राशि में कुल विशेष क्षेत्र अनुदान के मूल एवं निष्पादन, दोनों संघटक सम्मिलित हैं।

स्रोत मूल आंकड़े : गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारें और जनगणना 2001

अनुबंध 10.7

(पैरा 10.153)

हस्तांतरण निर्देशक (वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए कुल योजना-भिन्न राजस्व अनुदान)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	श.स्थानीय निकाय-सहा. (एमएच 191, 192, 193)	पंचायती राज संस्था-सहा. (एमएच 196, 197, 198)	स्थानीय निकाय को सहायता (3604)	तीन वर्षीय टीएफसी अनुदान	स्था. निकायों को हस्तांतरण (वि.आ. अनुदानों के सिवाय)	एनपीआरई (एफसी अनुदानों के सिवाय)	स्थानीय निकायों को व्यवस्थित हस्तांतरण कुल	एनपीआरई को व्यवस्थित हस्तांतरण का प्रतिशत	2001 जनसंख्या करोड़	भारित प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	818225	339877	71908	94310	1135700	9949189	1135700	11.41	7.62	14.64
2	अरुणाचल प्रदेश	112	0	0	740	-628	323868	0	0.00	0.11	0.00
3	असम	4656	0	2763	17430	-10011	2870377	0	0.00	2.67	0.00
4	बिहार	29804	148657	1321	104540	75242	4925328	75242	1.53	8.30	2.13
5	छत्तीसगढ़	8239	0	131177	39540	99877	1851164	99877	5.40	2.08	1.89
6	गोवा	1265	0	0	497	768	596783	768	0.13	0.13	0.00
7	गुजरात	18404	0	38779	67250	-10067	6902516	0	0.00	5.07	0.00
8	हरियाणा	4400	0	86132	28740	61792	3859709	61792	1.60	2.11	0.57
9	हिमाचल प्रदेश	6366	0	1221	9300	-1713	1820603	0	0.00	0.61	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	37257	0	0	6426	30831	3010731	30831	1.02	1.01	0.17
11	झारखंड	3062	0	215	0	3277	2083672	3277	0.16	2.69	0.07
12	कर्नाटक	8404	1508158	469452	60550	1778069	7553761	1778069	23.54	5.29	20.93
13	केरल	23663	172555	401054	68040	529233	5565104	529233	9.51	3.18	5.10
14	मध्य प्रदेश	69169	0	332696	117830	284036	5087805	284036	5.58	6.03	5.67
15	महाराष्ट्र	1404310	0	256931	130790	1530451	15339507	1530451	9.98	9.69	16.26
16	मणिपुर	439	0	0	1207	-768	538767	0	0.00	0.23	0.00
17	मेघालय	848	0	0	1740	-892	403898	0	0.00	0.23	0.00
18	मिजोरम	200	0	0	1200	-1000	341687	0	0.00	0.09	0.00
19	नागालैंड	320	0	0	1840	-1520	547514	0	0.00	0.20	0.00
20	उड़ीसा	16207	52582	78453	51300	95943	3765740	95943	2.55	3.68	1.58
21	पंजाब	10879	0	102586	21510	91954	5649154	91954	1.63	2.44	0.67
22	राजस्थान	271562	122094	2569	70300	325925	6281234	325925	5.19	5.65	4.93
23	सिक्किम	0	400	0	130	270	495180	270	0.05	0.05	0.00
24	तमिलनाडु	6110	7999	691977	72100	633986	9164701	633986	6.92	6.24	7.26
25	त्रिपुरा	333	0	0	650	-317	618252	0	0.00	0.32	0.00
26	उत्तर प्रदेश	34565	0	862363	206700	690228	13758504	690228	5.02	16.62	14.03
27	उत्तराखंड	0	0	69675	7500	62175	1443733	62175	4.31	0.85	0.62
28	पश्चिम बंगाल	195733	70	110911	83200	223514	8691508	223514	2.57	8.02	3.47
	जोड़	**2974531**	**2352394**	**3712183**	**1265360**	**7626352**	**120876790**	**7653270**	**98.09**	**101.22**	**100.00**

स्रोत मूल आंकड़े 1. वित्त लेखाएं (विभिन्न वर्ष)
2. वि.आ.-XII जारी अनुदान : वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े।
3. जनगणना 2001

राज्यों का तुलनीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार 1999-2000) और जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद तुलनीय अनुमान (लाख रुपए)								1 अक्तूबर की स्थिति के अनुसार जनसंख्या (करोड़)					
		प्राइमरी				शेष				ग्रामीण			नगरीय		
		2004-05	2005-06	2006-07	जोड़ (2004-07)	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़ (2004-07)	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	आंध्र प्रदेश	6207329	6878259	7880244	20965832	14983965	17328932	20472339	52785236	5.77	5.83	5.89	2.18	2.21	2.24
2	अरुणाचल प्रदेश	77388	89995	99524	266907	190631	209639	259434	659704	0.09	0.09	0.09	0.03	0.03	0.03
3	असम	1687466	2238057	2314751	6240274	3421317	3773717	4257828	11452862	2.43	2.46	2.48	0.38	0.39	0.41
4	बिहार	2159349	2667072	2736662	7563083	4477948	5738568	6191584	16408100	7.94	8.07	8.20	0.93	0.95	0.96
5	छत्तीसगढ़	1379078	1752415	1901521	5033014	3117401	3731437	4142813	10991651	1.74	1.76	1.78	0.47	0.48	0.50
6	गोवा	150986	197019	255696	603700	997812	1143936	1279192	3420940	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
7	गुजरात	3576560	4394782	4900496	12871838	14834636	17158159	20959598	52952393	3.31	3.35	3.38	2.07	2.12	2.16
8	हरियाणा	2176102	2229234	2832996	7238333	5974133	8168923	9083616	23226672	1.58	1.60	1.61	0.69	0.72	0.74
9	हिमाचल प्रदेश	596689	684252	612580	1893521	1740604	2090904	2420912	6252420	0.57	0.58	0.58	0.07	0.07	0.07
10	जम्मू और कश्मीर	715501	788036	829290	2332827	1688283	1986897	2230837	5906016	0.80	0.81	0.82	0.27	0.28	0.29
11	झारखंड	1495835	1831882	1826135	5153852	4210711	4940654	4910066	14061431	2.22	2.25	2.28	0.65	0.66	0.67
12	कर्नाटक	3211104	3902034	3956227	11069365	12708620	14965972	17471405	45145998	3.59	3.61	3.64	1.94	1.98	2.03
13	केरल	1842513	2276231	2472533	6591277	8946239	10370018	12192155	31508412	2.44	2.46	2.48	0.85	0.85	0.86
14	मध्य प्रदेश	3465515	3714554	4049168	11229237	7276157	8168792	9325414	24770363	4.73	4.81	4.89	1.74	1.78	1.82
15	महाराष्ट्र	4776973	5440388	6520668	16738028	33413201	39509050	45115831	118038082	5.77	5.82	5.86	4.49	4.60	4.71
16	मणिपुर	137011	129923	132640	399574	372317	371872	412426	1156615	0.17	0.17	0.17	0.06	0.06	0.06
17	मेघालय	205484	202514	240845	648843	400727	446265	515358	1362350	0.19	0.20	0.20	0.05	0.05	0.05
18	मिजोरम	48921	52631	53854	155406	208340	235126	262377	705844	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
19	नागालैंड	128443	141057	136152	405652	330248	401891	452263	1184402	0.17	0.17	0.18	0.04	0.04	0.04
20	उड़ीसा	2377511	2629014	3064482	8071008	4690410	5654916	6328396	16673722	3.23	3.26	3.29	0.60	0.61	0.62
21	पंजाब	3245570	3532300	4049567	10827437	6061637	7359655	7805639	21226932	1.65	1.66	1.67	0.91	0.93	0.96
22	राजस्थान	3232768	3728998	4189072	11150838	8239482	9684634	11378741	29302856	4.64	4.72	4.80	1.43	1.46	1.49
23	सिक्किम	30644	34549	36818	102011	129717	153876	166340	449933	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01
24	तमिलनाडु	2724687	3238325	3935322	9898335	17632523	19873907	23869347	61375777	3.36	3.32	3.28	3.08	3.17	3.26
25	त्रिपुरा	235485	230222	243392	709099	658465	725030	785632	2169127	0.28	0.28	0.28	0.06	0.06	0.06
26	उत्तर प्रदेश	7702646	8987879	9426473	26116998	16992609	19633056	22201762	58827426	14.06	14.31	14.56	3.78	3.88	3.97
27	उत्तराखंड	594102	578334	634109	1806545	1684047	1914667	2353452	5952165	0.66	0.67	0.68	0.24	0.25	0.25
28	पश्चिम बंगाल	5409356	5878816	6399653	17687825	14009471	17791585	20368977	52170033	6.03	6.09	6.15	2.36	2.39	2.42
जोड़ 28 राज्यों का		**59591016**	**68448772**	**75730872**	**203770660**	**189391652**	**223532078**	**257213732**	**670137463**	**77.57**	**78.51**	**79.42**	**29.49**	**30.15**	**30.81**

स्रोत : जनसंख्या अनुमान - जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी ग्रुप, राष्ट्रीय जनसंख्या की रिपोर्ट तुलनीय, जीएडीपी-सीएसओ।

अनुबंध 10.9क
(पैरा 10.154)

क्षेत्रफल

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्रफल (000) वर्ग कि.मी.		क्षेत्रफल परस्पर हिस्सा (%)		कुल क्षेत्रफल में आपसी हिस्सा (प्रतिशत)
		ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	
1	आंध्र प्रदेश	270.30	4.75	8.45	6.18	8.40
2	अरुणाचल प्रदेश	83.74	0.00	2.62	0.00	2.56
3	असम	77.48	0.96	2.42	1.25	2.39
4	बिहार	92.36	1.80	2.89	2.34	2.87
5	छत्तीसगढ़	133.33	1.87	4.17	2.43	4.13
6	गोवा	3.19	0.51	0.10	0.66	0.11
7	गुजरात	190.80	5.23	5.96	6.80	5.98
8	हरियाणा	42.93	1.28	1.34	1.66	1.35
9	हिमाचल प्रदेश	55.43	0.24	1.73	0.31	1.70
10	जम्मू और कश्मीर	221.29	0.95	6.92	1.24	6.78
11	झारखंड	77.92	1.79	2.44	2.33	2.43
12	कर्नाटक	186.62	5.17	5.83	6.72	5.85
13	केरल	35.61	3.25	1.11	4.23	1.19
14	मध्य प्रदेश	301.28	6.96	9.42	9.05	9.41
15	महाराष्ट्र	300.36	7.36	9.39	9.57	9.39
16	मणिपुर	22.18	0.14	0.69	0.18	0.68
17	मेघालय	22.20	0.23	0.69	0.30	0.68
18	मिजोरम	20.49	0.59	0.64	0.77	0.64
19	नागालैंड	16.43	0.15	0.51	0.20	0.51
20	उड़ीसा	152.91	2.79	4.78	3.63	4.75
21	पंजाब	48.28	2.08	1.51	2.71	1.54
22	राजस्थान	336.81	5.43	10.53	7.06	10.45
23	सिक्किम	7.10	0.00	0.22	0.00	0.22
24	तमिलनाडु	117.53	12.53	3.67	16.30	3.97
25	त्रिपुरा	10.35	0.14	0.32	0.18	0.32
26	उत्तर प्रदेश	234.37	6.56	7.33	8.53	7.35
27	उत्तराखंड	52.69	0.80	1.65	1.04	1.63
28	पश्चिम बंगाल	85.43	3.32	2.67	4.32	2.71
	सभी राज्यों का जोड़	**3199.41**	**76.88**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

स्रोत : मूल आंकड़े - जनगणना 2001

अनुबंध 10.9ख

(पैरा 10.154)

अनु.जाति/अनु. जनजाति जनसंख्या

(करोड़)

क्र. सं.	राज्य	अनु. जा.	अनु.जा. ग्रामीण	अनु.जन जाति	अनु. जनजाति ग्रामीण	प्रतिशत ग्रामीण अनु.जा. + अनु.जन जाति
1	आंध्र प्रदेश	1.23	1.02	0.50	0.46	7.08%
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.07	0.06	0.29%
3	असम	0.18	0.16	0.33	0.32	2.24%
4	बिहार	1.30	1.22	0.08	0.07	6.15%
5	छत्तीसगढ़	0.24	0.19	0.66	0.63	3.89%
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%
7	गुजरात	0.36	0.22	0.75	0.69	4.31%
8	हरियाणा	0.41	0.32	0.00	0.00	1.53%
9	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.14	0.02	0.02	0.78%
10	जम्मू और कश्मीर	0.08	0.06	0.11	0.11	0.81%
11	झारखंड	0.32	0.26	0.71	0.65	4.33%
12	कर्नाटक	0.86	0.64	0.35	0.29	4.46%
13	केरल	0.31	0.26	0.04	0.04	1.38%
14	मध्य प्रदेश	0.92	0.69	1.22	1.14	8.75%
15	महाराष्ट्र	0.99	0.61	0.86	0.75	6.47%
16	मणिपुर	0.01	0.00	0.07	0.07	0.35%
17	मेघालय	0.00	0.00	0.20	0.17	0.81%
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.08	0.04	0.21%
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.18	0.15	0.74%
20	उड़ीसा	0.61	0.54	0.81	0.77	6.23%
21	पंजाब	0.70	0.53	0.00	0.00	2.53%
22	राजस्थान	0.97	0.77	0.71	0.67	6.89%
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06%
24	तमिलनाडु	1.19	0.83	0.07	0.06	4.22%
25	त्रिपुरा	0.06	0.05	0.10	0.10	0.68%
26	उत्तर प्रदेश	3.51	3.08	0.01	0.01	14.73%
27	उत्तराखंड	0.15	0.13	0.03	0.02	0.71%
28	पश्चिम बंगाल	1.85	1.55	0.44	0.41	9.37%
	जोड़ 28 राज्य	**16.40**	**13.27**	**8.41**	**7.71**	100.00%

स्रोत : मूल आंकड़े - जनगणना 2001

अनुबंध 10.9ग

(पैरा 10.154)

ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य	जनसंख्या (करोड़)			2001 ग्रामीण	2001 नगरीय	2001 कुल
		ग्रामीण 2001	नगरीय 2001	कुल जनसंख्या 2001	% हिस्सा	% हिस्सा	% हिस्सा
1	आंध्र प्रदेश	5.54	2.08	7.62	7.48	7.66	7.53
2	अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.02	0.11	0.12	0.08	0.11
3	असम	2.32	0.34	2.67	3.13	1.27	2.63
4	बिहार	7.43	0.87	8.30	10.03	3.20	8.20
5	छत्तीसगढ़	1.66	0.42	2.08	2.25	1.54	2.06
6	गोवा	0.07	0.07	0.13	0.09	0.25	0.13
7	गुजरात	3.17	1.89	5.07	4.29	6.97	5.01
8	हरियाणा	1.50	0.61	2.11	2.03	2.25	2.09
9	हिमाचल प्रदेश	0.55	0.06	0.61	0.74	0.22	0.60
10	जम्मू और कश्मीर	0.76	0.25	1.01	1.03	0.93	1.00
11	झारखंड	2.10	0.60	2.69	2.83	2.21	2.66
12	कर्नाटक	3.49	1.80	5.29	4.71	6.62	5.22
13	केरल	2.36	0.83	3.18	3.18	3.04	3.15
14	मध्य प्रदेश	4.44	1.60	6.03	5.99	5.88	5.96
15	महाराष्ट्र	5.58	4.11	9.69	7.53	15.14	9.57
16	मणिपुर	0.17	0.06	0.23	0.23	0.21	0.23
17	मेघालय	0.19	0.05	0.23	0.25	0.17	0.23
18	मिजोरम	0.04	0.04	0.09	0.06	0.16	0.09
19	नागालैंड	0.16	0.03	0.20	0.22	0.13	0.20
20	उड़ीसा	3.13	0.55	3.68	4.22	2.03	3.64
21	पंजाब	1.61	0.83	2.44	2.17	3.04	2.41
22	राजस्थान	4.33	1.32	5.65	5.84	4.87	5.58
23	सिक्किम	0.05	0.01	0.05	0.06	0.02	0.05
24	तमिलनाडु	3.49	2.75	6.24	4.71	10.12	6.17
25	त्रिपुरा	0.27	0.05	0.32	0.36	0.20	0.32
26	उत्तर प्रदेश	13.17	3.45	16.62	17.77	12.72	16.42
27	उत्तराखंड	0.63	0.22	0.85	0.85	0.80	0.84
28	पश्चिम बंगाल	5.77	2.24	8.02	7.80	8.26	7.92
	सभी राज्यों का योग	74.07	27.15	101.22	100	100	100.00
कुल नगरीय ग्रामीण प्रतिशतता		**73.18**	**26.82**				

स्रोत : मूल आंकड़े - जनगणना 2001

आय अंतर : प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्राइमरी सेक्टर)

(रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़	औसत (जोड़/3)	पंजाब पीसीजीएसडीपी से अंतर	पंजाब पीसीजीएसडीपी से अंतर + 0.25 एसडी	ग्रामीण जनसंख्या करोड़ (2001)	उत्पाद	हिस्सा (%)
1	आंध्र प्रदेश	10762.23	11803.51	13389.25	35954.99	11985.00	9771.84	11012.89	5.54	61012.57	5.76
2	अरुणाचल प्रदेश	8905.36	10392.03	11519.02	30816.41	10272.14	11484.70	12725.75	0.09	1107.25	0.10
3	असम	6947.74	9109.27	9316.39	25373.40	8457.80	13299.04	14540.08	2.32	33756.68	3.18
4	बिहार	2720.65	3304.68	3336.74	9362.06	3120.69	18636.15	19877.20	7.43	147720.78	13.94
5	छत्तीसगढ़	7908.01	9932.07	10656.36	28496.44	9498.81	12258.02	13499.07	1.66	22473.33	2.12
6	गोवा	22434.77	28930.76	37219.17	88584.71	29528.24	0.00	1241.05	0.07	84.03	0.01
7	गुजरात	10795.21	13122.67	14483.51	38401.39	12800.46	8956.37	10197.42	3.17	32367.40	3.05
8	हरियाणा	13802.50	13968.51	17549.38	45320.39	15106.80	6650.04	7891.09	1.50	11859.72	1.12
9	हिमाचल प्रदेश	10460.89	11877.32	10530.85	32869.06	10956.35	10800.48	12041.53	0.55	6601.55	0.62
10	जम्मू और कश्मीर	8963.93	9754.13	10145.46	28863.52	9621.17	12135.66	13376.71	0.76	10202.50	0.96
11	झारखंड	6743.46	8141.34	8002.70	22887.50	7629.17	14127.67	15368.72	2.10	32200.67	3.04
12	कर्नाटक	8945.58	10794.31	10871.44	30611.33	10203.78	11553.06	12794.11	3.49	44637.41	4.21
13	केरल	7554.38	9248.84	9959.05	26762.26	8920.75	12836.08	14077.13	2.36	33186.06	3.13
14	मध्य प्रदेश	7324.35	7721.76	8282.88	23328.99	7776.33	13980.51	15221.55	4.44	67554.59	6.37
15	महाराष्ट्र	8285.30	9355.14	11121.35	28761.79	9587.26	12169.57	13410.62	5.58	74801.29	7.06
16	मणिपुर	8189.54	7665.05	7716.11	23570.70	7856.90	13899.94	15140.98	0.17	2601.11	0.25
17	मेघालय	10575.60	10311.29	12127.16	33014.05	11004.68	10752.15	11993.20	0.19	2236.39	0.21
18	मिजोरम	10704.81	11466.55	11682.00	33853.36	11284.45	10472.38	11713.43	0.04	524.25	0.05
19	नागालैंड	7450.28	8083.49	7705.26	23239.03	7746.34	14010.49	15251.54	0.16	2512.31	0.24
20	उड़ीसा	7350.02	8060.75	9321.05	24731.82	8243.94	13512.89	14753.94	3.13	46161.28	4.36
21	पंजाब	19685.63	21298.16	24286.72	65270.51	21756.84	0.00	1241.05	1.61	1997.65	0.19
22	राजस्थान	6971.68	7897.91	8718.52	23588.11	7862.70	13894.13	15135.18	4.33	65524.46	6.18
23	सिक्किम	6141.08	6855.04	7247.64	20243.76	6747.92	15008.92	16249.96	0.05	781.59	0.07
24	तमिलनाडु	8097.38	9741.67	11990.26	29829.30	9943.10	11813.73	13054.78	3.49	45589.49	4.30
25	त्रिपुरा	8547.55	8275.42	8661.64	25484.61	8494.87	13261.97	14503.02	0.27	3848.31	0.36
26	उत्तर प्रदेश	5478.61	6280.31	6473.34	18232.25	6077.42	15679.42	16920.47	13.17	222772.04	21.02
27	उत्तराखंड	8982.49	8634.43	9354.02	26970.94	8990.31	12766.52	14007.57	0.63	8839.16	0.83
28	पश्चिम बंगाल	8973.57	9651.01	10400.02	29024.60	9674.87	12081.97	13323.02	5.77	76939.02	7.26
	जोड़								**74.07**	**1059892.89**	**100.00**

स्रोत : मूल आंकड़े : सीएसओ तुलनीय जीएसडीपी, जनगणना 2001

अनुबंध 10.10ख
(पैरा 10.154)

आय अंतर : प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर)

(रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़	औसत (जोड़/3)	गोवा पीसीजीएसडीपी से अंतर	गोवा पीसीजीएसडीपी से अंतर + 0.25 एसडी	शहरी जनसंख्या करोड़ (2001)	उत्पाद	हिस्सा (%)
1	आंध्र प्रदेश	68655.05	78425.65	91541.49	238622.20	79540.73	63912.41	77564.34	2.08	161403.17	7.12
2	अरुणाचल प्रदेश	68082.65	70585.49	82622.30	221290.44	73763.48	69689.66	83341.59	0.02	1899.20	0.08
3	असम	89422.82	95852.60	105131.55	290406.97	96802.32	46650.82	60302.75	0.34	20739.56	0.92
4	बिहार	48186.25	60687.06	64395.05	173268.35	57756.12	85697.03	99348.96	0.87	86252.78	3.81
5	छत्तीसगढ़	66725.19	77560.53	83642.50	227928.22	75976.07	67477.07	81129.00	0.42	33958.55	1.50
6	गोवा	131985.75	144254.21	154119.47	430359.43	143453.14	0.00	13651.93	0.07	915.47	0.04
7	गुजरात	71779.34	81118.38	96855.81	249753.53	83251.18	60201.97	73853.90	1.89	139807.27	6.17
8	हरियाणा	86070.21	113757.45	122321.79	322149.45	107383.15	36069.99	49721.92	0.61	30406.47	1.34
9	हिमाचल प्रदेश	267785.25	314421.61	355493.68	937700.55	312566.85	0.00	13651.93	0.06	813.08	0.04
10	जम्मू और कश्मीर	61728.79	71011.32	77974.02	210714.14	70238.05	73215.10	86867.03	0.25	21861.29	0.96
11	झारखंड	64960.05	74688.65	72763.28	212411.98	70803.99	72649.15	86301.08	0.60	51726.63	2.28
12	कर्नाटक	65403.84	75421.92	86252.99	227078.75	75692.92	67760.23	81412.16	1.80	146228.68	6.45
13	केरल	105435.94	121386.14	141785.73	368607.81	122869.27	20583.87	34235.80	0.83	28302.48	1.25
14	मध्य प्रदेश	41804.98	45879.20	51218.84	138903.02	46301.01	97152.14	110804.07	1.60	176922.46	7.81
15	महाराष्ट्र	74400.36	85878.04	95771.06	256049.46	85349.82	58103.32	71755.25	4.11	294921.13	13.02
16	मणिपुर	62574.29	61875.60	68057.08	192506.97	64168.99	79284.15	92936.08	0.06	5352.82	0.24
17	मेघालय	82794.85	90520.31	102661.02	275976.17	91992.06	51461.09	65113.02	0.05	2956.85	0.13
18	मिजोरम	44046.59	48680.43	53328.71	146055.73	48685.24	94767.90	108419.83	0.04	4781.38	0.21
19	नागालैंड	91990.97	110409.49	122897.67	325298.13	108432.71	35020.43	48672.36	0.03	1668.43	0.07
20	उड़ीसा	78408.73	92506.39	101351.64	272266.76	90755.59	52697.56	66349.49	0.55	36606.59	1.62
21	पंजाब	66618.72	78797.17	81452.98	226868.87	75622.96	67830.19	81482.12	0.83	67324.69	2.97
22	राजस्थान	57618.76	66319.48	76352.01	200290.25	66763.42	76689.73	90341.66	1.32	119380.85	5.27
23	सिक्किम	193607.60	223008.73	231028.12	647644.45	215881.48	0.00	13651.93	0.01	81.73	0.00
24	तमिलनाडु	57309.85	62711.52	73187.42	193208.80	64402.93	79050.21	92702.14	2.75	254782.55	11.25
25	त्रिपुरा	110852.73	119248.34	126307.32	356408.39	118802.80	24650.35	38302.28	0.05	2090.35	0.09
26	उत्तर प्रदेश	44940.91	50658.11	55909.75	151508.77	50502.92	92950.22	106602.15	3.45	368199.37	16.25
27	उत्तराखंड	70197.86	77768.75	93169.10	241135.71	80378.57	63074.57	76726.50	0.22	16719.27	0.74
28	पश्चिम बंगाल	59309.39	74354.67	84054.71	217718.76	72572.92	70880.22	84532.15	2.24	189582.38	8.37
	जोड़								**27.15**	**2265685.48**	**100.00**

स्रोत : मूल आंकड़े : सीएसओ तुलनीय जीएसडीपी, जनगणना 2001

वित्त आयोग स्थानीय निकाय अनुदान उपयोग सूचकांक
पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान (6 नवम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	वार्षिक आवंटन	कुल आवंटन	जारी राशि					लाख रुपए		
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल जारी राशि	कुल जारी किस्ते	प्रतिशत हिस्सा
आंध्र प्रदेश	31740	158700	31740	15870	31740	31740	31740	142830	9.0	4.49
अरुणाचल प्रदेश	1360	6800	0	680	0	0	1360	2040	3.0	1.50
असम	10520	52600	5260	0	10520	0	15780	31560	6.0	2.99
बिहार	32480	162400	16240	32480	48720	32480	16240	146160	9.0	4.49
छत्तीसगढ़	12300	61500	12300	12300	12300	12300	6150	55350	9.0	4.49
गोवा	360	1800	180	0	77	360	0	617	3.4	1.71
गुजरात	18620	93100	9310	18620	18620	27930	9310	83790	9.0	4.49
हरियाणा	7760	38800	7760	7760	7760	7760	3880	34920	9.0	4.49
हिमाचल प्रदेश	2940	14700	2940	2940	2940	2940	0	11760	8.0	3.99
जम्मू और कश्मीर	5620	28100	1762	3524	0	0	0	5286	1.9	0.94
झारखंड	9640	48200	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
कर्नाटक	17760	88800	8880	26640	8880	26640		71040	8.0	3.99
केरल	19700	98500	19700	19700	19700	9850	0	68950	7.0	3.49
मध्य प्रदेश	33260	166300	33260	33260	33260	16630	33260	149670	9.0	4.49
महाराष्ट्र	39660	198300	19830	39660	39660	59490	19830	178470	9.0	4.49
मणिपुर	920	4600	212	423	212	423	635	1904	4.1	2.07
मेघालय	1000	5000	0	1500	0	2500	0	4000	8.0	3.99
मिजोरम	400	2000	200	600	0	800	0	1600	8.0	3.99
नागालैंड	800	4000	400	800	400	1600	400	3600	9.0	4.49
उड़ीसा	16060	80300	16060	16060	16060	16060	8030	72270	9.0	4.49
पंजाब	6480	32400	3240	6480	3240	6480	3240	22680	7.0	3.49
राजस्थान	24600	123000	24600	24600	12300	36900	12300	110700	9.0	4.49
सिक्किम	260	1300	130	0	0	910	130	1170	9.0	4.49
तमिलनाडु	17400	87000	17400	17400	8700	26100	8700	78300	9.0	4.49
त्रिपुरा	1140	5700	0	570	0	1140	1710	3420	6.0	2.99
उत्तर प्रदेश	58560	292800	58560	29280	87840	58560	29280	263520	9.0	4.49
उत्तराखंड	3240	16200	1620	3240	1620	0	0	6480	4.0	2.00
पश्चिम बंगाल	25420	127100	12710	25420	25420	38130	12710	114390	9.0	4.49
जोड़	**400000**	**2000000**	**304294**	**339807**	**389969**	**417723**	**214685**	**1666477**	**200.4**	**100.00**

स्रोत : मूल आंकड़े : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

अनुबंध **10.11ख**
(पैरा 10.157)

वित्त आयोग स्थानीय निकाय अनुदान उपयोग सूचकांक
शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (6 नवम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	वार्षिक आवंटन	कुल आवंटन	जारी राशि					लाख रुपए	जारी किस्तों	प्रतिशत
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल जारी राशि	की संख्या	हिस्सा
आंध्र प्रदेश	7480	37400	3740	7480	3740	14960	3740	33660	9.0	4.68
अरुणाचल प्रदेश	60	300	0	0	60	0	30	90	3.0	1.56
असम	1100	5500	550	0	1100	0	1650	3300	6.0	3.12
बिहार	2840	14200	1420	2840	2840	1420	4260	12780	9.0	4.68
छत्तीसगढ़	1760	8800	745	1015	880	880	3520	7040	8.0	4.16
गोवा	240	1200	0	240	0	480	0	720	6.0	3.12
गुजरात	8280	41400	8280	4140	8280	12420	4140	37260	9.0	4.68
हरियाणा	1820	9100	1820	1820	1820	910	1820	8190	9.0	4.68
हिमाचल प्रदेश	160	800	160	160	160	160	0	640	8.0	4.16
जम्मू और कश्मीर	760	3800	380	760	0	0	0	1140	3.0	1.56
झारखंड	1960	9800	0	0	0	1444	0	1444	1.5	0.77
कर्नाटक	6460	32300	3230	9690	3230	9690	0	25840	8.0	4.16
केरल	2980	14900	2980	2980	2980	1490	0	10430	7.0	3.64
मध्य प्रदेश	7220	36100	7220	7220	3610	10830	0	28880	8.0	4.16
महाराष्ट्र	15820	79100	0	23730	7910	7910	15820	55370	7.0	3.64
मणिपुर	180	900	90	180	90	90	180	630	7.0	3.64
मेघालय	160	800	0	240	0	400	0	640	8.0	4.16
मिजोरम	200	1000	100	300	0	400	0	800	8.0	4.16
नागालैंड	120	600	60	120	60	240	60	540	9.0	4.68
उड़ीसा	2080	10400	2080	1040	0	5200	0	8320	8.0	4.16
पंजाब	3420	17100	1710	3420	3420	5130	1710	15390	9.0	4.68
राजस्थान	4400	22000	4400	2200	2200	8800	2200	19800	9.0	4.68
सिक्किम	20	100	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
तमिलनाडु	11440	57200	11440	11440	5720	17160	5720	51480	9.0	4.68
त्रिपुरा	160	800	0	80	0	0	240	320	4.0	2.08
उत्तर प्रदेश	10340	51700	5170	10340	15510	10340	0	41360	8.0	4.16
उत्तराखंड	680	3400	340	680	0	0	0	1020	3.0	1.56
पश्चिम बंगाल	7860	39300	3930	7860	7860	11790	3930	35370	9.0	4.68
जोड़	**100000**	**500000**	**59845**	**99975**	**71470**	**122144**	**49020**	**402454**	**192.5**	**100.0**

स्रोत : मूल आंकड़े : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

अनुबंध 10.12

(पैरा 10.159)

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य-वार आवंटन

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात (2001)	ग्रामीण क्षेत्रफल का अनुपात (2001)	उच्चतम पीसी जीएसडीपी से अंतर (प्राइमरी)	ग्रामीण प्रतिशतता एससी+एसटी जनसंख्या	वि.आ. उपयोग सूचकांक	हस्तांतरण का सूचकांक	राज्य का हिस्सा
	भार (प्रतिशत)	**0.5**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.05**	**0.15**	**1**
1	आंध्र प्रदेश	7.48	8.45	5.76	7.08	4.49	14.64	8.29
2	अरुणाचल प्रदेश	0.12	2.62	0.10	0.29	1.50	0.00	0.43
3	असम	3.13	2.42	3.18	2.24	2.99	0.00	2.50
4	बिहार	10.03	2.89	13.94	6.15	4.49	2.13	7.86
5	छत्तीसगढ़	2.25	4.17	2.12	3.89	4.49	1.89	2.65
6	गोवा	0.09	0.10	0.01	0.01	1.71	0.00	0.14
7	गुजरात	4.29	5.96	3.05	4.31	4.49	0.00	3.70
8	हरियाणा	2.03	1.34	1.12	1.53	4.49	0.57	1.72
9	हिमाचल प्रदेश	0.74	1.73	0.62	0.78	3.99	0.00	0.88
10	जम्मू और कश्मीर	1.03	6.92	0.96	0.81	0.94	0.17	1.46
11	झारखंड	2.83	2.44	3.04	4.33	0.00	0.07	2.41
12	कर्नाटक	4.71	5.83	4.21	4.46	3.99	20.93	7.14
13	केरल	3.18	1.11	3.13	1.38	3.49	5.10	3.09
14	मध्य प्रदेश	5.99	9.42	6.37	8.75	4.49	5.67	6.52
15	महाराष्ट्र	7.53	9.39	7.06	6.47	4.49	16.26	8.72
16	मणिपुर	0.23	0.69	0.25	0.35	2.07	0.00	0.35
17	मेघालय	0.25	0.69	0.21	0.81	3.99	0.00	0.50
18	मिजोरम	0.06	0.64	0.05	0.21	3.99	0.00	0.32
19	नागालैंड	0.22	0.51	0.24	0.74	4.49	0.00	0.48
20	उड़ीसा	4.22	4.78	4.36	6.23	4.49	1.58	4.11
21	पंजाब	2.17	1.51	0.19	2.53	3.49	0.67	1.78
22	राजस्थान	5.84	10.53	6.18	6.89	4.49	4.93	6.25
23	सिक्किम	0.06	0.22	0.07	0.06	4.49	0.00	0.29
24	तमिलनाडु	4.71	3.67	4.30	4.22	4.49	7.26	4.89
25	त्रिपुरा	0.36	0.32	0.36	0.68	2.99	0.00	0.47
26	उत्तर प्रदेश	17.77	7.33	21.02	14.73	4.49	14.03	15.52
27	उत्तराखंड	0.85	1.65	0.83	0.71	2.00	0.62	0.94
28	पश्चिम बंगाल	7.80	2.67	7.26	9.37	4.49	3.47	6.57
	जोड़	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100**

स्रोत : अनुबंध 10.7, 10.9क, 10.9ख, 10.9ग, 10.10क, 10.11क

अनुबंध 10.13

(पैरा 10.159)

शहरी स्थानीय निकायों को राज्य-वार (आवंटन)

क्र.सं.	राज्य	नगरीय जनसंख्या का अनुपात	नगरीय क्षेत्र का अनुपात (2001)	अधिकतम पीसी जीएसडीपी से अंतर	वि.आ. उपयोग सूचकांक	हस्तांतरण का सूचकांक	राज्य का हिस्सा
	भार (प्रतिशत)	**0.5**	**0.1**	**0.2**	**0.05**	**0.15**	**1**
1	आंध्र प्रदेश	7.66	6.18	7.12	4.68	14.64	8.30
2	अरुणाचल प्रदेश	0.08	0.00	0.08	1.56	0.00	0.14
3	असम	1.27	1.25	0.92	3.12	0.00	1.10
4	बिहार	3.20	2.34	3.81	4.68	2.13	3.15
5	छत्तीसगढ़	1.54	2.43	1.50	4.16	1.89	1.81
6	गोवा	0.25	0.66	0.04	3.12	0.00	0.35
7	गुजरात	6.97	6.80	6.17	4.68	0.00	5.63
8	हरियाणा	2.25	1.66	1.34	4.68	0.57	1.88
9	हिमाचल प्रदेश	0.22	0.31	0.04	4.16	0.00	0.36
10	जम्मू और कश्मीर	0.93	1.24	0.96	1.56	0.17	0.88
11	झारखंड	2.21	2.33	2.28	0.77	0.07	1.84
12	कर्नाटक	6.62	6.72	6.45	4.16	20.93	8.62
13	केरल	3.04	4.23	1.25	3.64	5.10	3.14
14	मध्य प्रदेश	5.88	9.05	7.81	4.16	5.67	6.47
15	महाराष्ट्र	15.14	9.57	13.02	3.64	16.26	13.75
16	मणिपुर	0.21	0.18	0.24	3.64	0.00	0.35
17	मेघालय	0.17	0.30	0.13	4.16	0.00	0.35
18	मिजोरम	0.16	0.77	0.21	4.16	0.00	0.41
19	नागालैंड	0.13	0.20	0.07	4.68	0.00	0.33
20	उड़ीसा	2.03	3.63	1.62	4.16	1.58	2.15
21	पंजाब	3.04	2.71	2.97	4.68	0.67	2.72
22	राजस्थान	4.87	7.06	5.27	4.68	4.93	5.17
23	सिक्किम	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
24	तमिलनाडु	10.12	16.30	11.25	4.68	7.26	10.26
25	त्रिपुरा	0.20	0.18	0.09	2.08	0.00	0.24
26	उत्तर प्रदेश	12.72	8.53	16.25	4.16	14.03	12.78
27	उत्तराखंड	0.80	1.04	0.74	1.56	0.62	0.82
28	पश्चिम बंगाल	8.26	4.32	8.37	4.68	3.47	6.99
	जोड़	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

स्रोत : अनुबंध 10.7, 10.9क, 10.9ख, 10.10ख, 10.11ख

अनुबंध 10.14

(पैरा 10.159)

राज्य-वार संयुक्त प्रतिशतता हिस्सा

क्र.सं.	राज्य	पंचा. रा. सं. (%)	पंचा.रा.सं. (संयुक्त प्रतिशतता)	शहरी स्था. निकाय (%)	शहरी स्था. निकाय (संयुक्त प्रतिशतता)	राज्य हिस्सा (संयुक्त प्रतिशतता)
1	आंध्र प्रदेश	8.29	6.07	8.30	2.23	8.29
2	अरुणाचल प्रदेश	0.43	0.32	0.14	0.04	0.35
3	असम	2.50	1.83	1.10	0.29	2.13
4	बिहार	7.86	5.75	3.15	0.84	6.59
5	छत्तीसगढ़	2.65	1.94	1.81	0.48	2.42
6	गोवा	0.14	0.10	0.35	0.10	0.20
7	गुजरात	3.70	2.71	5.63	1.51	4.22
8	हरियाणा	1.72	1.26	1.88	0.50	1.77
9	हिमाचल प्रदेश	0.88	0.65	0.36	0.10	0.74
10	जम्मू और कश्मीर	1.46	1.07	0.88	0.24	1.30
11	झारखंड	2.41	1.76	1.84	0.49	2.25
12	कर्नाटक	7.14	5.23	8.62	2.31	7.54
13	केरल	3.09	2.26	3.14	0.84	3.11
14	मध्य प्रदेश	6.52	4.77	6.47	1.73	6.51
15	महाराष्ट्र	8.72	6.38	13.75	3.69	10.07
16	मणिपुर	0.35	0.25	0.35	0.09	0.35
17	मेघालय	0.50	0.36	0.35	0.09	0.46
18	मिजोरम	0.32	0.23	0.41	0.11	0.34
19	नागालैंड	0.48	0.35	0.33	0.09	0.44
20	उड़ीसा	4.11	3.01	2.15	0.58	3.58
21	पंजाब	1.78	1.31	2.72	0.73	2.04
22	राजस्थान	6.25	4.57	5.17	1.39	5.96
23	सिक्किम	0.29	0.21	0.01	0.00	0.22
24	तमिलनाडु	4.89	3.58	10.26	2.75	6.33
25	त्रिपुरा	0.47	0.34	0.24	0.06	0.41
26	उत्तर प्रदेश	15.52	11.36	12.78	3.43	14.79
27	उत्तराखंड	0.94	0.69	0.82	0.22	0.91
28	पश्चिम बंगाल	6.57	4.81	6.99	1.87	6.68
	जोड़	**100**	**73.18**	**100.00**	**26.82**	**100.00**

स्रोत : अनुबंध 10.12, 10.13

टिप्पणी : संयुक्त प्रतिशतताएं 2001 जनगणना से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के हिस्से के लिए प्राप्त की गयी है।

अनुबंध 10.15क
(पैरा 10.159)

राज्यवार संयुक्त हिस्सा-सामान्य मूल अनुदान

क्र.सं.	राज्य	पंचा. रा.सं.	प्रतिशतता शहरी स्थानीय नि.	कुल	(करोड़ रुपए) 2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
1	आंध्र प्रदेश	6.066	2.227	8.293	665.3	771.5	901.7	1068.4	1265.0	4671.9
2	अरुणाचल प्रदेश	0.318	0.037	0.355	28.5	33.0	38.6	45.7	54.1	199.9
3	असम	1.831	0.294	2.125	170.5	197.7	231.1	273.8	324.1	1197.2
4	बिहार	5.750	0.844	6.595	529.0	613.5	717.1	849.6	1005.9	3715.2
5	छत्तीसगढ़	1.939	0.484	2.423	194.4	225.4	263.5	312.2	369.6	1365.2
6	गोवा	0.105	0.095	0.200	16.0	18.6	21.7	25.7	30.4	112.4
7	गुजरात	2.708	1.511	4.219	338.4	392.5	458.7	543.5	643.5	2376.7
8	हरियाणा	1.261	0.504	1.766	141.6	164.3	192.0	227.5	269.3	994.7
9	हिमाचल प्रदेश	0.646	0.095	0.742	59.5	69.0	80.7	95.6	113.2	417.9
10	जम्मू और कश्मीर	1.066	0.237	1.303	104.5	121.2	141.7	167.9	198.7	734.0
11	झारखंड	1.760	0.494	2.254	180.9	209.7	245.1	290.4	343.9	1270.0
12	कर्नाटक	5.228	2.312	7.540	604.9	701.5	819.9	971.4	1150.1	4247.7
13	केरल	2.263	0.843	3.106	249.2	289.0	337.7	400.1	473.8	1749.7
14	मध्य प्रदेश	4.775	1.734	6.509	522.2	605.5	707.7	838.5	992.8	3666.8
15	महाराष्ट्र	6.382	3.688	10.070	807.9	936.9	1095.0	1297.3	1536.1	5673.1
16	मणिपुर	0.254	0.095	0.349	28.0	32.5	38.0	45.0	53.3	196.7
17	मेघालय	0.363	0.093	0.456	36.6	42.5	49.6	58.8	69.6	257.2
18	मिजोरम	0.234	0.109	0.343	27.5	31.9	37.3	44.2	52.3	193.3
19	नागालैंड	0.354	0.089	0.443	35.6	41.2	48.2	57.1	67.6	249.7
20	उड़ीसा	3.007	0.576	3.583	287.5	333.4	389.6	461.6	546.6	2018.6
21	पंजाब	1.306	0.730	2.035	163.3	189.4	221.3	262.2	310.5	1146.7
22	राजस्थान	4.571	1.386	5.957	477.9	554.2	647.8	767.5	908.7	3356.1
23	सिक्किम	0.214	0.003	0.217	17.4	20.2	23.6	28.0	33.1	122.4
24	तमिलनाडु	3.579	2.753	6.332	508.0	589.1	688.5	815.8	965.9	3567.3
25	त्रिपुरा	0.340	0.065	0.405	32.5	37.7	44.1	52.2	61.8	228.2
26	उत्तर प्रदेश	11.360	3.427	14.787	1186.2	1375.7	1607.8	1905.0	2255.5	8330.2
27	उत्तराखंड	0.686	0.221	0.907	72.7	84.4	98.6	116.8	138.3	510.8
28	पश्चिम बंगाल	4.810	1.875	6.685	536.3	621.9	726.9	861.2	1019.7	3765.9
	जोड़	**73.177**	**26.823**	**100.000**	**8022.3**	**9303.2**	**10873.4**	**12883.0**	**15253.5**	**56335.4**

स्रोत : अनु. 10.14 और सारणी 10.4

राज्यवार संयुक्त हिस्सा - सामान्य निष्पादन अनुदान

क्र.सं.	राज्य	पंचा. रा.सं.	प्रतिशतता शहरी स्थानीय नि.	कुल	(करोड़ रुपए) 2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
1	आंध्र प्रदेश	6.066	2.227	8.293	0.0	263.8	618.8	729.9	861.0	2473.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0.318	0.037	0.355	0.0	11.3	26.5	31.2	36.8	105.8
3	असम	1.831	0.294	2.125	0.0	67.6	158.6	187.0	220.6	633.8
4	बिहार	5.750	0.844	6.595	0.0	209.8	492.1	580.4	684.7	1967.0
5	छत्तीसगढ़	1.939	0.484	2.423	0.0	77.1	180.8	213.3	251.6	722.8
6	गोवा	0.105	0.095	0.200	0.0	6.3	14.9	17.6	20.7	59.5
7	गुजरात	2.708	1.511	4.219	0.0	134.2	314.8	371.3	438.0	1258.3
8	हरियाणा	1.261	0.504	1.766	0.0	56.2	131.7	155.4	183.3	526.6
9	हिमाचल प्रदेश	0.646	0.095	0.742	0.0	23.6	55.4	65.3	77.0	221.3
10	जम्मू और कश्मीर	1.066	0.237	1.303	0.0	41.4	97.2	114.7	135.3	388.6
11	झारखंड	1.760	0.494	2.254	0.0	71.7	168.2	198.4	234.0	672.4
12	कर्नाटक	5.228	2.312	7.540	0.0	239.8	562.6	663.6	782.8	2248.9
13	केरल	2.263	0.843	3.106	0.0	98.8	231.8	273.4	322.5	926.4
14	मध्य प्रदेश	4.775	1.734	6.509	0.0	207.0	485.7	572.9	675.7	1941.3
15	महाराष्ट्र	6.382	3.688	10.070	0.0	320.3	751.4	886.3	1045.5	3003.6
16	मणिपुर	0.254	0.095	0.349	0.0	11.1	26.1	30.7	36.3	104.2
17	मेघालय	0.363	0.093	0.456	0.0	14.5	34.1	40.2	47.4	136.1
18	मिजोरम	0.234	0.109	0.343	0.0	10.9	25.6	30.2	35.6	102.3
19	नागालैंड	0.354	0.089	0.443	0.0	14.1	33.1	39.0	46.0	132.2
20	उड़ीसा	3.007	0.576	3.583	0.0	114.0	267.4	315.4	372.0	1068.7
21	पंजाब	1.306	0.730	2.035	0.0	64.7	151.9	179.2	211.3	607.1
22	राजस्थान	4.571	1.386	5.957	0.0	189.5	444.5	524.3	618.5	1776.8
23	सिक्किम	0.214	0.003	0.217	0.0	6.9	16.2	19.1	22.6	64.8
24	तमिलनाडु	3.579	2.753	6.332	0.0	201.4	472.5	557.3	657.4	1888.6
25	त्रिपुरा	0.340	0.065	0.405	0.0	12.9	30.2	35.7	42.1	120.8
26	उत्तर प्रदेश	11.360	3.427	14.787	0.0	470.4	1103.4	1301.5	1535.1	4410.3
27	उत्तराखंड	0.686	0.221	0.907	0.0	28.8	67.7	79.8	94.1	270.4
28	पश्चिम बंगाल	4.810	1.875	6.685	0.0	212.6	498.8	588.4	694.0	1993.8
	जोड़	**73.177**	**26.823**	**100.000**	**0.0**	**3180.9**	**7461.8**	**8801.6**	**10381.9**	**29826.1**

स्रोत : अनुबंध 10.14 और सारणी 10.4

अनुबंध 10.15ग

(पैरा 10.159)

राज्य-वार संयुक्त हिस्सा-विशेष क्षेत्र मूल अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
1	आंध्र प्रदेश	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	29.3
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	असम	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	36.4
4	बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	छत्तीसगढ़	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	105.5
6	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	गुजरात	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	72.1
8	हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	हिमाचल प्रदेश	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.4
10	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	झारखंड	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	175.0
12	कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	मध्य प्रदेश	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	132.6
15	महाराष्ट्र	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	39.4
16	मणिपुर	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	8.8
17	मेघालय	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	23.0
18	मिजोरम	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	8.9
19	नागालैंड	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	19.9
20	उड़ीसा	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	108.0
21	पंजाब	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	राजस्थान	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	18.2
23	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	तमिलनाडु	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	त्रिपुरा	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	12.2
26	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	उत्तराखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	पश्चिम बंगाल	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	7.9
	जोड़	159.7	159.7	159.7	159.7	159.7	798.3

स्रोत : अनुबंध 10.6 और सारणी 10.4

अनुबंध 10.15घ

(पैरा 10.159)

राज्यवार संयुक्त हिस्सा - विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान और कुल अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल	स्थानीय निकायों को कुल अनुदान		
								पं.राज. संस्था कुल	श. स्थान. निका. कुल	विशेष क्षेत्र अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	0.0	2.9	5.9	5.9	5.9	***20.5***	**5226.2**	**1919.2**	**49.8**
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**274.1**	**31.6**	**0.0**
3	असम	0.0	3.6	7.3	7.3	7.3	***25.5***	**1577.4**	**253.6**	**61.8**
4	बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**4954.5**	**727.6**	**0.0**
5	छत्तीसगढ़	0.0	10.5	21.1	21.1	21.1	***73.8***	**1670.7**	**417.2**	**179.3**
6	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**90.1**	**81.9**	**0.0**
7	गुजरात	0.0	7.2	14.4	14.4	14.4	***50.5***	**2332.8**	**1302.2**	**122.6**
8	हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**1086.7**	**434.6**	**0.0**
9	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	***1.0***	**556.9**	**82.3**	**2.3**
10	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**918.3**	**204.3**	**0.0**
11	झारखंड	0.0	17.5	35.0	35.0	35.0	***122.5***	**1516.6**	**425.8**	**297.4**
12	कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**4504.8**	**1991.9**	**0.0**
13	केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**1950.2**	**725.9**	**0.0**
14	मध्य प्रदेश	0.0	13.3	26.5	26.5	26.5	***92.8***	**4113.8**	**1494.3**	**225.3**
15	महाराष्ट्र	0.0	3.9	7.9	7.9	7.9	***27.6***	**5498.6**	**3178.1**	**67.0**
16	मणिपुर	0.0	0.9	1.8	1.8	1.8	***6.2***	**219.2**	**81.7**	**15.0**
17	मेघालय	0.0	2.3	4.6	4.6	4.6	***16.1***	**313.0**	**80.3**	**39.1**
18	मिजोरम	0.0	0.9	1.8	1.8	1.8	***6.2***	**201.3**	**94.3**	**15.1**
19	नागालैंड	0.0	2.0	4.0	4.0	4.0	***13.9***	**305.4**	**76.5**	**33.8**
20	उड़ीसा	0.0	10.8	21.6	21.6	21.6	***75.6***	**2591.2**	**496.1**	**183.6**
21	पंजाब	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**1125.1**	**628.7**	**0.0**
22	राजस्थान	0.0	1.8	3.6	3.6	3.6	***12.7***	**3938.7**	**1194.3**	**30.9**
23	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**184.5**	**2.7**	**0.0**
24	तमिलनाडु	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**3083.9**	**2372.0**	**0.0**
25	त्रिपुरा	0.0	1.2	2.4	2.4	2.4	***8.5***	**293.4**	**55.7**	**20.7**
26	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**9787.7**	**2952.8**	**0.0**
27	उत्तराखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***0.0***	**591.0**	**190.2**	**0.0**
28	पश्चिम बंगाल	0.0	0.8	1.6	1.6	1.6	***5.5***	**4144.3**	**1615.4**	**13.4**
	जोड़	**0.0**	**79.8**	**159.7**	**159.7**	**159.7**	**558.8**	**63050.5**	**23111.0**	**1357.1**

स्रोत : अनुबंध 10.6 और सारणी 10.4